केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

नगरीय निकाय निर्वाचन

पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका–2022

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश
पी0सी0एफ0भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन (अधिनियम, 1994) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में कराए जाते हैं। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव, निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर निर्भर करता है। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में विशेष कर मतदान प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पीठासीन अधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में उनका निर्णय अन्तिम होता है। निर्वाचक की पहचान, मतदान स्थल में व्यक्तियों के प्रवेश, मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश तथा विशेष परिस्थितियों में मतदान स्थल सम्बन्धी विषयों में उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना विशेष महत्व रखता है। नगरीय निकायों की निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के उत्तरदायित्व का सही और सुचारु रूप से निर्वहन करने के उद्देश्य से यह निर्देश पुस्तिका संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए तैयार की गई है।

मुझे विश्वास है कि पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान कार्य में तैनात मतदान अधिकारियों को निर्वाचन विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी।

दिनाँक :

मनोज कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषय–सूची

क्र0 सं0	अध्याय / परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1	निर्वाचन संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र	
2.	अध्याय–2	नगरीय निकाय के निर्वाचन संबंधी मुख्य बिन्दु	
3.	अध्याय–3	पीठासीन अधिकारियों (प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स) के दायित्व एवं विशेष ध्यान देने योग्य बातें।	
4.	अध्याय–4	मतदान दल का गठन तथा पूर्वाभ्यास	
5.	अध्याय–5	मतदान सामग्री प्राप्त करना	
6.	अध्याय–6	मतदान केन्द्र की स्थापना एवं व्यवस्था	
7.	अध्याय–7	मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन	
8.	अध्याय–8	मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने तथा बैठने की व्यवस्था	
9.	अध्याय–9	मतदान केन्द्र में और उसके आसपास निर्वाचन विधि लागू करना	
10.	अध्याय–10	मतपेटी की तैयारी	
11.	अध्याय–11	मतपत्रों को जारी करने की तैयारी	
12.	अध्याय–12	मतदान का प्रारम्भ	
13.	अध्याय–13	निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और आपत्ति की दशा में प्रक्रिया	
14.	अध्याय–14	निविदत्त मतपत्र और मतपत्रों का रद्द किया जाना	
15.	अध्याय–15	दृष्टिबाधा या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक / साथी उपलब्ध कराना	
16.	अध्याय–16	बलवा आदि के कारण मतदान का स्थगन	
17.	अध्याय–17	मतदान बन्द होने के समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया व मतदान की समाप्ति	
18.	अध्याय–18	मतपेटियों और निर्वाचन पत्रों को बन्द करना और सील करना	
19.	अध्याय–19	पीठासीन अधिकारी की डायरी	
20.	अध्याय–20	निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेख और सामग्री को संग्रह केन्द्रों पर सौंपना और उनकी जाँच करना	
21.	परिशिष्ट–1	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–13)	
22.	परिशिष्ट–2	मतदान स्थल के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना (प्ररूप–14)	
23.	परिशिष्ट–3	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप–17)	
24.	परिशिष्ट–4	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना (प्ररूप–18)	
25.	परिशिष्ट–5	मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (प्ररूप–19)	

26.	परिशिष्ट–6	अनुवर्ती मतपेटी/मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (प्ररूप–20)	
27.	परिशिष्ट–7	आयु के सम्बन्ध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप (प्ररूप–21)	
28.	परिशिष्ट–8	निर्वाचक की आयु के सम्बन्ध में प्राप्त घोषणा की सूची का प्ररूप (प्ररूप–22)	
29.	परिशिष्ट–9	आपत्ति किए गए मतों की सूची (प्ररूप–23)	
30.	परिशिष्ट–10	आपत्ति के सम्बन्ध में जमा धनराशि की रसीद (प्ररूप–24)	
31.	परिशिष्ट–11	निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप–25)	
32.	परिशिष्ट–12	दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा (प्ररूप–26)	
33.	परिशिष्ट–13	दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची (प्ररूप–27)	
34.	परिशिष्ट–14	थाना प्रभारी को शिकायती पत्र (प्ररूप–28)	
35.	परिशिष्ट–15	मतदान स्थगन की सूचना (प्ररूप–29)	
36.	परिशिष्ट–16	मतपत्र लेखा (प्ररूप–30)	
37.	परिशिष्ट–17	पत्र मुद्रा लेखा (प्ररूप–31)	
38.	परिशिष्ट–18	मतदान के अन्त में घोषणा/मतपत्र लेखा की पावती (प्ररूप–32)	
39.	परिशिष्ट–19	पीठासीन अधिकारी की डायरी (प्ररूप–33)	
40.	परिशिष्ट–20	मतदाताओं का प्रवेश और निकास दर्शाने वाली पट्टी (8" X 5")	
41.	परिशिष्ट–21	पीठासीन/मतदान अधिकारियों लिए बैज	
42.	परिशिष्ट–22	मतपेटी लेबिल	
43.	परिशिष्ट–23	पते की पर्ची	
44.	परिशिष्ट–24	मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश–पत्र	
45.	परिशिष्ट–25	मतदान सामग्री की सूची	
46.	परिशिष्ट–26	मतपेटियों के प्रयोग के लिए अनुदेश	
47.	परिशिष्ट–27	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लिखित निर्वाचन अपराध सम्बन्धी धाराओं का उद्धरण	
48.	परिशिष्ट–28	उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के उद्धरण	
49.	परिशिष्ट–29	पीठासीन अधिकारियों/पोलिंग अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शक बातें।	

अध्याय–1

निर्वाचन संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र

1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–यक सपठित अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत नगर पालिकाओं के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की सम्पूर्ण शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयोग में निहित की गई हैं। तदनुरूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13ख तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 45 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 में उत्तर प्रदेश में स्थित नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के समस्त अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं।

2 राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा किसी भी जनपद में स्थित नगरीय निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को सौंपा गया है तथा उनकी सहायता हेतु प्रत्येक जनपद के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) के रूप में पदाभिहित किया गया है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के संचालन हेतु नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण अपने से सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन होंगे।

3 जनपद में स्थित विभिन्न नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के निर्वाचन का कार्य देखेंगे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

4 सामान्यतः जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) द्वारा प्रत्येक मतदान स्थल (पोलिंग स्टेशन) पर एक पीठासीन अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार तीन से पाँच मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो सम्बन्धित मतदान स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्याय–2

नगरीय निकायों के निर्वाचन सम्बन्धी कुछ आधारभूत बिन्दु

प्रदेश में नगरीय निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ मूलभूत बातें जिन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, निम्नलिखित हैं :–

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक निकाय की वार्ड वार तैयार कराई गई निर्वाचक नामावली के आधार पर मतदान होगा जिसमें उस वर्ष की एक जनवरी को जिन मतदाताओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, के नाम शामिल होंगे।

2. नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रत्येक मतदान स्थल पर सामान्यतः 1000 मतदाता रखे जाएं, किन्तु अधिकतम संख्या 1200 मतदाताओं से अधिक न हो। इसी प्रकार नगर निगम में प्रत्येक मतदान स्थल पर सामान्यतः 1200 मतदाता रखे जाएं, किन्तु अधिकतम संख्या 1500 मतदाताओं से अधिक न हो।

3. किसी एक मतदान केन्द्र पर चार से अधिक मतदान स्थल न बनाए जाएं। यदि किसी विशेष/अपरिहार्य परिस्थिति में एक मतदान केन्द्र (पोलिंग सेन्टर) पर चार से अधिक मतदान स्थल (पोलिंग स्टेशन) स्थापित किया जाना आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से परामर्श करके भली भांति यह सुनिश्चित कर लें कि शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं सुचारू रूप से मतदान कराए जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिन मतदान केन्दों पर चार से अधिक मतदान स्थल बन रहे हों और उन मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त कमरे व स्थान उपलब्ध न हों तो ऐसे मतदान स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित कर शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में बनाए जाएं जिसका पूर्वानुमोदन भी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से प्राप्त किया जाएगा।

4. अपरिहार्य स्थिति के अतिरिक्त एक मतदान स्थल पर दो वार्डों के मतदाता न रखे जाएं और पूरे वार्ड के मतदाताओं को मतदान स्थलों से यथावश्यक बराबर–बराबर विभक्त कर दिया जाए, परन्तु एक परिवार के समस्त मतदाताओं को एक मतदान स्थल पर ही रखा जाए। मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के निर्देशानुसार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह विधिक मान्यताओं को पूरा करता हो और व्यवहारिक रूप से उपयुक्त भी हो। मतदान स्थल का क्षेत्रफल कम से कम 20 वर्ग मीटर होना चाहिए जिससे मतदान स्थल के अन्दर जगह की कमी न हो तथा जिस कमरे में मतदान किया जाना हो उसमें रोशनी व हवा की पर्याप्त व्यवस्था हो। जहाँ तक सम्भव हो सके उसमें दो दरवाजे हों जिसमें से एक अन्दर आने के लिए तथा दूसरा बाहर जाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

5. प्रत्येक नगरीय निकाय के मामले में सम्पूर्ण नगर क्षेत्र के लिए स्थापित विभिन्न मतदान स्थलों को एक के बाद एक क्रमशः क्रमाँक (नम्बर) दिया गया है और वे उसी क्रमाँक से जाने जाएंगे।

6. नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) के प्रत्येक वार्ड से यथास्थिति एक पार्षद या एक सदस्य चुना जाएगा तथा प्रत्येक नगरीय निकाय से एक अध्यक्ष/महापौर चुना जाएगा।

7. निर्वाचन की स्थिति में मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम तथा नाम के सम्मुख चुनाव चिह्न मुद्रित होंगे। मतदाताओं द्वारा उम्मीदवारों के नाम के सम्मुख मुद्रित चुनाव चिह्न

पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐरोक्रास सील से अभीष्ट उम्मीदवार के पक्ष में मतांकन किया जाएगा।

8. मतपत्र के पीछे सुभेदक चिह्न वाली रबर की मुहर लगाई जाएगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेगा।

9. नगरीय निकायों में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा मतगणना की सुविधा को देखते हुए आयोग द्वारा नगर निगमों के पार्षदों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन में गुलाबी रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। नगर निगम के महापौर के पद हेतु नीला, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु हरा तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष हेतु सफेद रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है।

10. प्रत्येक मतदान स्थल के मतदान दल को सामान्यतः दो बड़ी मतपेटियाँ गोदरेज टाइप की दी जाएंगी जिनका प्रयोग एक के बाद एक आवश्यकतानुसार किया जाएगा। मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे और एक मतपेटी के भर जाने पर क्रमशः दूसरी तथा तीसरी मतपेटी को जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

11. प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय सम्बन्धित मतदान अधिकारी (पोलिंग ऑफिसर) द्वारा मतपत्र के प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतदाता के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान लिया जाएगा।

12. मतदान स्थल पर सम्बन्धित मतदान अधिकारी (पोलिंग ऑफिसर) द्वारा मतदाता की बायीं तर्जनी अंगुलि (इन्डेक्स फिंगर) पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि बायें हाथ की तर्जनी अंगुलि न हो तो बायें हाथ की क्रमशः मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि बायें हाथ की कोई अंगुलि या अंगुष्ठ न हो तो उक्तानुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसके बाएं या दाएं हाथ के किसी सिरे (ठूंठ) पर, जो भी हो, लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि यदि उसके बाएं या दाएं हाथ के दोनों सिरे (ठूंठ) भी न हों तो बायें पैर और बायाँ पैर न हो तो दाहिने पैर की अंगुलियों अथवा अंगुष्ठ पर उक्तानुसार निर्धारित वरीयताक्रम में अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि हाथ व पैर अंगुलियाँ व अंगुष्ठ न हों और दोनों हाथ का कोई सिरा भी न हो तो शरीर के किसी सहज द्रष्टव्य स्थान पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।

13. मतदाता को अपना मत अंकित करने के लिए मतदान अधिकारी (पोलिंग ऑफिसर) द्वारा रबर की मुहर (ऐरोक्रास सील) दी जाएगी। केवल इसी मुहर को दिए गए मतपत्र पर मत अंकित करने हेतु प्रयोग किया जाएगा। मत अंकित करने के बाद मतपत्र निर्धारित मतपेटी में डाले जाएंगे एवं ऐरोक्रास सील मतदान अधिकारी को लौटा दी जाएगी।

14. मतदान स्थल के अन्दर की व्यवस्था अध्याय–6 में उल्लिखित रेखाचित्र– 01 अथवा 02 अथवा 03 जैसा कि सुविधाजनक हो, के अनुसार की जाएगी। मतदान स्थल पर सामान्यतया एक मतदान प्रकोष्ठ (पोलिंग कम्पार्टमेन्ट) बनाया जाएगा, परन्तु यदि आवश्यकता समझी जाए तो महिलाओं की सुविधा के लिए उसी कक्ष में अलग से मतदान प्रकोष्ठ (पोलिंग कम्पार्टमेन्ट) बनाया जा सकता है।

15. मतदान स्थल पर उम्मीदवार स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (इलेक्शन एजेन्ट) या उसके मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु एक समय में उम्मीदवार की ओर से केवल एक ही व्यक्ति रहेगा। कोई मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) एक से अधिक उम्मीदवारों का मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) नहीं रह सकता है। उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियाँ या बेंच रख दी जाएं, किन्तु यदि कुर्सी या बेंच की व्यवस्था न हो सके तो उनके बैठने के लिए सम्यक् व्यवस्था की जाए।

16. मतदान आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार होगा।

17. मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् मतों की गणना निर्धारित समय, दिनाँक तथा स्थान पर की जाएगी। मतगणना निर्धारित समय से प्रारम्भ होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी न हो जाए।

अध्याय–3

पीठासीन अधिकारियों (प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स) के कर्तव्य एवं दायित्व

मतदान के संचालन में पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अपने प्रभाराधीन मतदान स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण विधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराना उनका सबसे प्रमुख कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभाने के लिए उन्हें निर्वाचन विधि के समस्त प्रावधानों तथा प्रक्रिया की जानकारी होना एवम् उन पर अमल करना आवश्यक है।

पीठासीन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैः–

1 वे मतदान दल का गठन होते ही अपने मतदान स्थल के दल के समस्त सदस्यों का परिचय प्राप्त करके उनके आवास का पता व टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 भी अवश्य प्राप्त करें और पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के तुरन्त बाद से ही उनसे सम्पर्क रखें।

2 अपनी नियुक्ति के तुरन्त बाद पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों की प्रति प्राप्त कर लें और निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लें। मतदान अधिकारियों को भी निर्देश की जानकारी दें।

3 अपने मतदान स्थल के स्थान और वहाँ पहुँचने तथा वहाँ से वापस आने के मार्ग की स्पष्ट जानकारी रखें।

4 निर्वाचन से पूर्व के पूर्वाभ्यासों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निश्चित रूप से सम्मिलित हों ताकि निर्वाचन के समय अन्य मतदान अधिकारियों का सम्यक् मार्गदर्शन कर सकें।

5 निर्वाचन सामग्री प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं। अपने सामान का मिलान परिशिष्ट–25 पर दी गई मतदान सामग्री की सूची से अवश्य कर लें, ताकि कोई वस्तु छूट गई हो तो उसे तुरन्त प्राप्त कर लें।

6 मतदान केन्द्र पर पहुँचने पर एक उपयुक्त मतदान स्थल स्थापित करने के लिए समस्त प्रबन्ध, विशेष रूप से मतदान की गोपनीयता, मतदाताओं को पंक्तिबद्ध रखने की व्यवस्था, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र मतदान की कार्यवाही एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपाय स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर लेने चाहिए।

7 पीठासीन अधिकारी को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठ भाग पर अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने हैं किन्तु मतपत्र के प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर हस्ताक्षर न करें। मतदान कार्य समय से प्रारम्भ करने हेतु कुछ मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

8 प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठ भाग तथा उसके प्रतिपर्ण पर अपने मतदान स्थल की सुभेदक चिह्न वाली मुहर लगाकर उसका कोड/संख्या अंकित करें जो इस कार्य हेतु दी गई है।

9 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान समुचित रूप से सत्यापित की गई है। निर्वाचक की पहचान प्रमाणित करने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन कराया जाए।

10 निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि से सम्बन्धित विवरणों के आधार पर किसी निर्वाचक की पहचान हो जाने के बाद अध्याय–2 के बिन्दु 12 के अनुसार अमिट स्याही से निशान लगाना है। निशान लगाने हेतु नियुक्त द्वितीय मतदान अधिकारी इस तथ्य की संतुष्टि भी करेंगे कि सम्बन्धित निर्वाचक/मतदाता को अध्याय–2 के बिन्दु 12 के अनुसार अमिट स्याही का कोई चिह्न (हल्का या किसी प्रकार का निशान) तो नहीं है। तत्पश्चात् ही अमिट स्याही लगाएंगे और उसके बाद ही मतपत्र के प्रतिपर्ण पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। इसके बाद उसे मतपत्र जारी किया जाएगा।

11 प्रत्येक मतदान स्थल पर उपयोग के लिए दो पदों/स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में निर्वाचक नामावली की चार प्रतियाँ दी जाएंगी जिनमें से एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास, एक प्रति मतदान अधिकारी–1 के पास रहेगी जिसे चिह्नित प्रति कहा जाएगा तथा एक प्रति मतदान अधिकारी–2 के पास रहेगी। चौथी निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान स्थल के बाहरी दीवार पर लगाई जाएगी। यदि एक ही पद/स्थान का निर्वाचन होता है तो ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी–2 की आवश्यकता नहीं रहेगी और तदनुसार निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियाँ दी जाएंगी।

12 मतदान आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारम्भ किया जाएगा। मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व उपस्थित उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और उन्हें उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम–61 के उपबन्ध से अवगत कराया जाए।

13 यदि कोई मतदाता चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी मतदान करते समय मतदान की गोपनीयता बनाए रखने सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करता है तो उसे जारी किया गया मतपत्र वापस लेकर टिप्पणी सहित रद्द कर दिया जाएगा।

14 मतदान के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर कुछ घोषणाएं प्ररूप–19, 20 व 32 मे भी भरनी होती हैं। अतः उन्हे भरकर मतदान स्थल पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेन्ट्स) से उन पर हस्ताक्षर कराने चाहिए।

15 यदि मतदान स्थल पर कोई घटना घटित होती है तो उसे उसी समय अपनी डायरी (प्ररूप–33) में उल्लेख करते हुए तथ्यों सहित अंकित कर लें। हर दो घंटे में हुए मतदान/डाले गए मतपत्रों की संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में सुसंगत कालम में दर्ज करते रहें।

16 मतदान बन्द होने के समय उपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आगे अध्याय–17 में दी गई है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतदान का समय समाप्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को लाइन में शामिल न होने दिया जाए। किन्तु मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के अन्दर जितने मतदाता पंक्ति में हैं, उन्हें मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर पंक्तिबद्ध ऐसे मतदाताओं को मतदान हेतु पंक्ति के अन्तिम मतदाता से प्रारम्भ करके 1, 2, 3..... आदि की संख्या अंकित कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से पर्ची प्रदान की जाएगी और ऐसी पर्ची रखने वाले मतदाता ही मतदान कर सकेंगे।

17 मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी को मतपत्र लेखा (प्ररूप–30) तैयार करना होगा। इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाए तथा इसकी प्रमाणित प्रति प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को रसीद लेकर दे दी जाए।

18 निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कागजात को अलग अलग लिफाफों में मुहर बन्द किया जाता है। इस सम्बन्ध में अध्याय–18 के प्रस्तर 05 व 06 पर दिए गए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें जिससे कोई ऐसी त्रुटि न हो जिसका निराकरण बाद में न किया जा सके।

19 मतदान समाप्ति के बाद मतदान स्थल से अपने दल के साथ लौटने का स्वतंत्र कार्यक्रम न बनाएं। सुरक्षा बल सहित उसी वाहन से लौटें जो परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत मतदान दल को लाने और ले जाने के लिए नियत किया गया है।

20 मतदान से वापस लौटने के बाद मतपेटियों, विभिन्न लिफाफे तथा अन्य सामग्री को निर्वाचन संचालन केन्द्र पर तैनात प्राधिकृत अधिकारी को ही सौंपे और उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद ही घर जाएं।

21 मतदान दल मतदान स्थल के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर नहीं रूकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन करेंगे।

अध्याय–4

मतदान दल का गठन तथा पूर्वाभ्यास

1 मतदान स्थल पर मतदान कार्य हेतु एक पीठासीन अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार 3 से 5 तक मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिनमें एक महिला अधिकारी भी होगी। मतदान दल के गठन एवं पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के समय ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के मतदान अधिकारी संख्या–1 को पीठासीन अधिकारी के अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थित होने की दशा में पीठासीन अधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व हो जाता है कि दल के सदस्यों के बीच टीम भावना पैदा करें जिससे टीम की कार्य दक्षता बढ़े और सदस्य अपने दायित्वों का सफलता पूर्वक संचालन करें। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि मतदान दल के अन्य सदस्यों के निवास स्थान का पता व टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 आदि नोट रखें तथा मतदान से पूर्व जितनी बार सम्भव हो उतनी बार उस कार्य को दोहरा लें जो दल के प्रत्येक सदस्य को मतदान के समय करना है।

2 मतदान के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्रों/पूर्वाभ्यासों में प्रत्येक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। उन्हें चाहिए कि मतदान के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानों को अच्छी तरह से समझ लें। मतपेटियों को उपयोग में लाने सम्बन्धी कार्यवाही/प्रक्रिया का अभ्यास स्वयं करके देख लें तथा उनका प्रदर्शन मात्र देखकर ही संतुष्ट न हों। यदि कोई कार्यवाही प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के दौरान ठीक से ज्ञात न हो सकी हो तो उसे बाद में ठीक से समझ लें क्योंकि उसे मतदान के समय बताने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मतपेटी को खोलने और बन्द करने का बार–बार अभ्यास करना जरूरी है। इसी प्रकार मतपेटियों को सील करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पेपर सील लगाने की प्रक्रिया को भी ठीक से समझ लें।

3 सभी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों, भले ही वह पहले भी निर्वाचन करा चुके हों फिर भी उन्हें प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यासों को गम्भीरता से लेना चाहिए और उसमें उपस्थित होकर निर्वाचन विधि तथा उसमें हुए संशोधनों की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। नमूने के तौर पर मतपत्र लेखा (प्ररूप–30) एवं पत्र मुद्रा लेखा (प्ररूप–31) भी तैयार करने का भलीभॉति अभ्यास कर लेना चाहिए।

अध्याय–5

मतदान सामग्री प्राप्त करना

पीठासीन अधिकारी को मतदान की तारीख से पूर्व निर्धारित दिनाँक पर मतदान दल के अन्य सदस्यों के साथ मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए बुलाया जाएगा। सामग्री लेते समय उसकी सावधानी से जाँच पड़ताल कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी है। यह भी देख लें कि सभी सामान सही हालत में हैं। यदि कोई वस्तु दोषपूर्ण अथवा खराब हालत में है तो उसे बदल लें। मतदान सामग्री की सूची परिशिष्ट–25 पर दी गई है। अतः उससे अपनी सामग्री का मिलान कर लें और ऐसा करते समय निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखें :–

1 प्रस्थान के समय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई सभी वस्तुएं आपके साथ हैं। यह जाँच कर लें कि प्रत्येक मतपेटी ठीक है। आपको दी जाने वाली मतपेटी को खोलने, बन्द करने तथा उन्हें सील करने के सम्बन्ध में परिशिष्ट–26 में दिए गए अनुदेशों का सावधानी से अध्ययन कर लें।

2 मतदान दल को निर्वाचक नामावली की आवश्यकतानुसार तीन या चार प्रतियाँ दी जाएंगी। अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रतियों का मिलान सावधानी पूर्वक कर लें कि सभी प्रतियाँ एक जैसी हैं। विशेष रूप से हाथ से लिखी/चिह्नांकित की गई प्रति का निम्नलिखित आशय से मिलान कर लिया जाए कि–

(1) वह भाग उसी मतदान स्थल से सम्बन्धित है, जिसके लिए आपकी तैनाती की गई है और उपलब्ध कराई गई प्रतियाँ उसी भाग क्रमाँक/मतदान स्थल की हैं।

(2) अनुपूरक सूचियों की भी जाँच कर लें।

(3) निर्वाचक नामावली के सभी पृष्ठों पर उनकी संख्या सही सही लिखी गई है।

(4) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या में कोई विसंगति नहीं है। निर्वाचक नामावली की प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी–1 के लिए है। यह प्रति चिह्नित प्रति कहलाती है। यदि किसी प्रति पर इस प्रकार की प्रविष्टि न भी हो तो भी जिस प्रति के शीर्ष में चिह्नित प्रति अंकित हो उसे मतदान अधिकारी–1 को दे दें। शेष प्रतियाँ मतदान दल तथा मतदान स्थल की बाहरी दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

3 मतदान दल को अमिट स्याही की दो शीशी दी जाएंगी। उन शीशियों को अच्छी तरह से देख लें कि उनमें अमिट स्याही पर्याप्त मात्रा में है।

4 सामान्यतः सम्बन्धित नगरीय निकाय के अध्यक्ष तथा सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र की किताबें 50–50 मतपत्रों की संख्या वाली होंगी लेकिन एक या उससे अधिक किताब 10 मतपत्रों की भी हो सकती है। अतः अपने मतदान स्थल से सम्बद्ध मतदाताओं की संख्या के अनुसार कुल संख्या के अगले दशमांश तक पूर्ण करने पर जो संख्या आये उतने मतपत्र आपको दिए जाएंगे। उदाहरणार्थ यदि आपके मतदान स्थल पर 472 मतदाता हैं तो आपको 480 मतपत्र दिए जाएंगे अर्थात् 50–50 मतपत्रों वाली 9 किताबें तथा 10–10 मतपत्रों की 3 किताबें दी जाएंगी। मतपत्र पर सिलसिलेवार क्रमाँक अंकित होंगे। मतपत्र प्राप्त करते समय सावधानी पूर्वक यह देख लें कि आपको दिए गए मतपत्रों की संख्या आपके मतदान स्थल के मतदाताओं की

संख्या से कम तो नहीं है। इस संख्या का मिलान आपको दी गई निर्वाचक नामावली से कर लें। प्रत्येक मतपत्र एवं उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित क्रम संख्या का मिलान कर देख लें कि वह एक ही है। इसी प्रकार यह भी देख लें कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव चिह्न ठीक प्रकार से मुद्रित हैं अथवा नहीं? क्रमाँक ठीक से मेल खा रहे हैं अथवा नहीं? त्रुटिपूर्ण होने की दशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर तिरछी लाइनों का क्रास (X) खींच कर उसे रद्द कर दें।

5 मतपत्रों के पीछे मतदान स्थल की क्रम संख्या से सम्बन्धित सुभेदक चिह्न वाली मुहर लगाई जाती है। दी गई सुभेदक चिह्न वाली मुहर को सादे कागज पर लगाकर देख लें। यदि छाप स्पष्ट नहीं आती है तो उसे बदल लें।

6 स्टाम्प पैड की भी जाँच कर देख लें कि उसमें स्याही सूखी तो नहीं है।

7 आपके मतदान स्थल से लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची की तीन प्रतियाँ मतदान दल को दी जाएंगी। यह सूची तीन भागों में होगी। प्रथम भाग में मान्यता प्राप्त, द्वितीय भाग में अमान्यता प्राप्त एवं तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत राजनैतिक दलों तथा तृतीय भाग में निर्दलीय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में होगी और उनके सम्मुख उम्मीदवार को आवंटित प्रतीक को लिखा जाएगा। मतदान स्थल पर पहुँचने पर उनमें से एक प्रति आपको केन्द्र के बाहर सूचना पट्ट पर लगानी होगी तथा दूसरी प्रति केन्द्र के अन्य किसी आसानी से दिखने वाले स्थान पर लगानी होगी तथा तीसरी प्रति आसानी से दिखने वाले स्थान पर निर्वाचन कक्ष के अन्दर भी लगानी होगी। (अध्याय–11, प्रस्तर–6)

8 गोदरेज टाइप मतपेटियों के उपयोग की दशा में उन्हें बन्द करने के समय सादी पेपर सील लगाई जाती है। अतः यह देख लें कि आपको दी गई पेपर सीलें ठीक ठाक हैं और वांछित संख्या में हैं।

9 मतदाताओं को अपना मत अंकित करने के लिए ऐरोक्रास वाली 4 रबर की मुहरें मतदान दल को दी जाएंगी। सादे कागज पर इनका ठप्पा लगाकर यह देख लें कि इन सीलों की पूरी छाप आ रही है। यदि छाप स्पष्ट नहीं आती है तो उसे बदल लें।

10 इसी प्रकार परिशिष्ट–25 पर दी गई सामग्री की सूची से मतदान सम्पन्न कराने हेतु प्ररूपों, लिफाफों तथा अन्य सामग्री को सही प्रकार से जाँच लें। यह सब आवश्यकता के अनुरूप पूरी हों ताकि मतदान कार्य में कोई कठिनाई और व्यवधान न हो। चेयरपरसन तथा सदस्य/पार्षद का मतदान एक साथ होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सामग्री दी जाएगी।

11 प्राप्त मतदान सामग्री एवं मतपत्रों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी।

अध्याय–6

मतदान केन्द्र की स्थापना एवं व्यवस्था

1 मतदान से पूर्व के प्रशिक्षण सत्रों एवं पूर्वाभ्यासों के दौरान मतदान दल के सभी सदस्यों को अपने मतदान स्थल पर पहुँचने और वहाँ पर की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा सम्बन्धित निर्वाचन संचालन केन्द्र पर दल को अपने मतदान स्थल पर पहुँचने और वहाँ से वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी किन्तु निर्वाचन संचालन केन्द्र पर स्वयं ही निश्चित दिनाँक एवं समय पर पहुँचना होगा। सामान्यतः मतदान के दिनाँक से एक दिन पूर्व मतदान दल के सदस्यों को बुलाकर उन्हें मतदान की समस्त सामग्री तथा मतदान स्थल पर पहुँचने के मार्ग का विवरण दिया जाएगा। मतदान दलों को चाहिए कि उसी दिन अर्थात् मतदान के दिनाँक से एक दिन पूर्व मतदान सामग्री सहित अपराह्न 04 बजे तक अपने निर्धारित मतदान स्थल पर पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद मतदान समाप्ति तक वहीं रहेंगे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के समय वे उपस्थित मिलेंगे।

2 यदि दल का कोई मतदान अधिकारी उक्त निर्धारित समय पर उपस्थित न हो तो पीठासीन अधिकारी इसकी सूचना जोनल मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को भेजवाएंगे ताकि रिटर्निंग अधिकारी आरक्षित मतदान दल में से किसी प्रतिस्थानी को भेजने की कार्यवाही तुरन्त कर सकें। यदि मतदान के दिनाँक के प्रातः काल तक कोई अधिकारी उपस्थित न हो तो ऐसी दशा में पीठासीन अधिकारी स्वयं कोई दूसरा मतदान अधिकारी नियुक्त कर लें और इस नियुक्ति के बारे में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरी निकाय) तथा रिटर्निंग अधिकारी को औपचारिक रूप से सूचित कर दें। यह जरूर ध्यान रखें कि इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति किसी उम्मीदवार के लिए काम न कर रहा हो अथवा किसी उम्मीदवार का सक्रिय विरोधी न हो और किसी राजनैतिक दल का सक्रिय कार्यकर्ता न हो।

3 यदि पीठासीन अधिकारी अपनी गम्भीर अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारण से केन्द्र से अनुपस्थित रहे तो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरी निकाय)/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु पहले से प्राधिकृत किया गया मतदान अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी–1, पीठासीन अधिकारी का कार्य करेगा और वह पीठासीन अधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

4 पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारियों में से किसी को भी मतदान सम्बन्धी कोई भी कार्य सौंप सकता है। अपने कार्यो के प्रतिनिधायन के बावजूद पीठासीन अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं माना जाएगा क्योंकि हर हालत में सम्पूर्ण मतदान स्थल का समग्र दायित्व उसका ही है।

5 मतदान प्रकोष्ठ (पोलिंग कम्पार्टमेन्ट) की रचना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे निम्नलिखित तीन विधियों से बनाया जा सकता है :–

(1) किसी छोटी मेज के चारों पाए से चार बाँस बाँध दिए जाएं और उन बासों के सहारे तीन तरफ एक पर्दा लगा दिया जाए। उस मेज को ईंटों की सहायता से जमीन से तीन फुट ऊँचा कर लिया जाए और उसे दीवार से लगभग दो फुट की दूरी पर रख दिया जाए।

(2) दूसरा तरीका यह है कि 24 इंच X 18 इंच का लकड़ी का एक पतला तख्ता लें जिसमें प्रत्येक कोने में एक एक सुराख हो। उसके चारों सुराखों में 18 इंच लम्बी लकड़ी की चार छड़ें लगा लें और इन छड़ों के सहारे तीन तरफ एक कपड़ा लगा दें। वह भी एक अच्छा मतदान प्रकोष्ठ का कार्य करेगा। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। इस साज सामान को एक छोटी मेज पर भी रखा जा सकता है और इस मेज को ईंटों की सहायता से जमीन से तीन फुट ऊँचा कर लिया जाए। जहाँ सम्भव हो सके वहाँ प्रत्येक मतदान दल को ऐसे दो सेट उपलब्ध कराए जाएं।

(3) मतदान प्रकोष्ठ अगल बगल बनाने का तीसरा तरीका यह है कि दीवार से लगभग 2 फुट की दूरी पर दीवार के समानान्तर एक पर्दा लटका दिया जाए और पहले पर्दे से समकोण पर एक दूसरा पर्दा लटका दिया जाए। रेखा चित्र संख्या–3 दो दरवाजे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि केवल एक ही दरवाजा है तो रस्सी बॉधकर आने जाने के मार्ग का विभाजन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि पर्दे जमीन की सतह तक लटके हुए हों। इसके लिए 3–4 फुट चौड़े पर्दे पर्याप्त होंगे। जिन स्थानों पर बाँस की बनी टट्टियाँ आसानी से उपलब्ध हो सकें वहाँ मतदान केन्द्र के कमरे के एक कोने में दो लकड़ियों की सहायता से उन्हें एक दूसरे के साथ समकोण पर रखकर भी मतदान प्रकोष्ठ बनाया जा सकता है।

6 जिस स्थान पर मतदान स्थल स्थापित किया जाना है वहाँ पर पहुँच कर उस भवन का, जिसमें मतदान स्थल बनाने का प्रस्ताव है, निरीक्षण कर लें। यदि पहले से मतदान स्थल की स्थापना रेखाचित्र–01 अथवा 02 अथवा 03 के अनुसार नहीं हैं तो अपनी सुविधानुसार एवं सही तौर से मतदान संचालन को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान स्थल की व्यवस्था (बैठने का क्रम आदि) सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त व्यवस्था में कक्ष में स्थान को देखते हुए अपने हिसाब से मामूली परिवर्तन भी कर सकते हैं, किन्तु ध्यान रहे किः–

(1) मतदान स्थल के बाहर महिला एवं पुरूष मतदाताओं के खड़े रहने हेतु पर्याप्त स्थान हो, जहाँ वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर प्रतीक्षा कर सकें।

(2) जहाँ तक सम्भव हो पुरूष तथा महिला मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा पंक्ति अलग अलग रखें।

(3) मतदाताओं के प्रवेश तथा बाहर जाने के लिए अलग अलग द्वार होने चाहिए। किसी मतदान स्थल पर एक ही दरवाजा होने की दशा में दरवाजे के बीच एक रस्सी बाँधकर प्रवेश तथा बाहर जाने का मार्ग अलग अलग बनाकर इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

(4) मतदान स्थल में पीठासीन अधिकारी के बैठने, मतदान अधिकारियों, मतदान अभिकर्ताओं के बैठने, मतदान प्रकोष्ठ (पोलिंग कम्पार्टमेन्ट) तथा मतपेटी के रखने की ऐसी व्यवस्था करें कि प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक मतदाता आसानी से चल फिर सकें और मतदान स्थल के भीतर यथासम्भव टेढ़े मेढ़े न चलें।

(5) मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेन्ट) को इस ढंग से बैठाएं कि मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने और मतदान अधिकारी–1 द्वारा पहचान के समय वे भी उसका चेहरा देख सकें और यदि आवश्यक हो तो मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकें, लेकिन उन्हें किसी ऐसे स्थान पर कभी न

बैठाएं जहाँ से वह वास्तव में मतदाता को मतपत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव चिह्न पर मुहर लगाते समय देख सकें।

(6) मतदान कक्ष के अन्दर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। यदि मुहर लगाने की जगह पर पर्याप्त प्रकाश न हो तो उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था कर लें।

(7) जहाँ कहीं एक मतदान केन्द्र/भवन में एक से अधिक मतदान स्थल हैं तो यह ध्यान रखें कि मतदाताओं को उनके मतदान स्थल के अनुसार अलग–अलग करने के लिए और प्रत्येक मतदान स्थल के सामने वाले स्थान की भिन्न–भिन्न भागों में बिना किसी गड़बड़ी के उनके प्रतीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं। इस हेतु दिशा संकेत, मतदान स्थल को पृथक् से पहचानने के संकेत आदि आवश्यकतानुसार लगा दिए जाएं, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो।

(8) मतदान स्थल के अन्दर पहले से लगे ऐसे किसी भी फोटो अथवा चित्र को जिसका सम्बन्ध किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से हो या जिसे मतपत्र के किसी चुनाव चिह्न से जोड़ा जा सके, तुरन्त हटवा दें।

(9) मतदान स्थल के आस पास सौ मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनाँक को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाए और न ही किसी मतदाता से मतों की संयाचना की जाए। मतदान केन्द्र के चारों ओर सौ मीटर की दूरी दर्शाने वाले चिह्न तथा मुद्रित पर्चे यथास्थान लगा दें। यह संकेत एवं पर्चे पृथक् से दिए जाएंगे। मतदान स्थल की सौ मीटर की परिधि में यदि किसी उम्मीदवार या किसी दल के प्रचार, प्रसार के नारे या पोस्टर, चिह्न तथा बैनर आदि हों तो उन्हें साफ/हटवाकर जब्त कर लिया जाए और मतदान के दिन ऐसे किसी चिह्न, नारे, पोस्टर, फोटोचित्र या बैनर का प्रदर्शन इस परिधि में न करने दिया जाए जिसका सम्बन्ध किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से हो।

(10) यथासम्भव मतदान स्थल सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी भवनों में स्थापित किए जाते हैं। किन्तु यदि आवश्यकता पड़ने पर अपरिहार्य दशा में मतदान केन्द्र निजी भवन में बनाए गए हों तो उस भवन का व उसके चारों ओर 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए और इस हेतु भवन के स्वामी से सम्बन्धित किसी चौकीदार अथवा किसी अन्य कर्मचारी को, भले ही वह सशस्त्र या खाली हाथ हो उसे मतदान केन्द्र अथवा भवन के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(11) मतदान स्थल और उसके 100 मीटर की दूरी के अन्दर प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की होगी। अतः इस हेतु तैनात की गई पुलिस उसके नियंत्रण में रहेगी।

(12) मतदान के दिन मतदान स्थल के अन्दर किसी भी प्रयोजन हेतु भोजन बनाने या आग जलाने की अनुमति न दी जाए।

(13) प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर निम्नलिखित का प्रदर्शन प्रमुख रूप से किया जाए :–

(क) मतदान स्थल के अन्तर्गत आने वाले मतदान क्षेत्र व मतदाताओं की विशिष्टियों को बताने वाली सूचना (प्ररूप–14)।

(ख) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति, जिसमें यथासम्भव प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव चिह्न भी दर्शाये गए हों (प्ररूप–13)।

(ग) निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदान स्थल के बाहरी दीवार पर प्रदर्शित कर दी जाएगी ताकि मतदाता अपना नाम तथा क्रमाँक देख सकें।

अध्याय–7

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

1. मतदान दल का कर्तव्य अपने मतदान स्थल पर शान्तिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराना होता है। अतः इस कार्य के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों के बीच कार्यों का विभाजन निम्नानुसार किया जाना चाहिएः–

(1) मतदान अधिकारी–1 (पोलिंग ऑफिसर–1)

मतदान स्थल में आते ही निर्वाचक (मतदाता) सीधे मतदान अधिकारी–1 के पास जाएगा। मतदान अधिकारी–1 उससे उसका नाम तथा क्रमाँक पूछेगा। तदनुसार निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में उसका नाम खोजेगा। नाम ढूंढ लेने के बाद वह उसका नाम और क्रमाँक जोर से उच्चरित करेगा। मतदान अधिकारी–1 निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदाता द्वारा प्रस्तुत पहचान पर्ची के आधार पर ही उसकी पहचान सत्यापित नहीं करनी चाहिए। मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में यदि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो मतदान अधिकारी अपनी निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। किसी महिला मतदाता के मामले में उसके नाम के सामने सही का चिह्न लगाएगा। इसके बाद मतदाता मतदान अधिकारी–2 के पास चला जाएगा।

यदि मतदाता पहचान पर्ची लाया हो तो उसकी पहचान साबित करने के उपरान्त पर्ची को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर रद्दी की टोकरी में डाल देगा। ऐसे टुकड़े फर्श पर नहीं फेंके जाएंगे।

(2) मतदान अधिकारी–2 (पोलिंग ऑफिसर–2)

इस अधिकारी के प्रभार में अमिट स्याही व मतपत्रों की किताबें होंगी। जैसे ही मतदान अधिकारी–1 मतदाता से सम्बन्धित क्रमाँक व निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जोर से पढ़ेगा, मतदान अधिकारी–2 मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदाता की क्रम संख्या दर्ज करेगा। यही अधिकारी अध्याय–2 के बिन्दु–12 के निर्देशानुसार निरीक्षण करेगा कि उस पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है और उसके बाद नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिह्न इस तरह से लगाएगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच ऋजु (त्वचा और नाखून के बीच उभरी रेखाओं) के ऊपर भी फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट निशान लग जाए। यह ध्यान रखें कि अमिट स्याही का निशान लगाते समय मतदाता को छूने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे यह दिखे कि मतदाता ने अपनी अंगुलि पर स्याही के निशान को निष्प्रभावी करने के लिए कोई तैलीय या चिकना पदार्थ लगाया हो तो उसे मतदाता की अंगुलि पर स्याही लगाने से पहले कपड़े के टुकड़े से अच्छी तरह से साफ कर दें। मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाने के बाद मतदान स्थल में उसे रगड़ने या मिटाने की अनुमति न दी जाए।

जहाँ कहीं नये सिरे से मतदान अथवा पुनर्मतदान किया जा रहा हो तो ऐसी दशा में मूल मतदान में अमिट स्याही से लगे निशानों को ध्यान न देकर मतदाता के बीच की अंगुलि के नाखून के जड़ में अमिट स्याही से ताजा निशान ऐसे लगाया जाए कि स्याही त्वचा और नाखून के बीच उभरी हुई रेखाओं पर फैलकर स्पष्ट निशान लगा दें। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर

अथवा बायें अंगूठे का निशान मतपत्र के प्रतिपर्ण पर लिया जाएगा। अंगूठा निशान के लिए इस हेतु दिए गए पैड का प्रयोग करें। मतदाताओं के अंगूठे में लगे पैड की स्याही को मिटाने के लिए मतदान अधिकारी अपनी मेज पर गीला कपड़ा रखें। जब तक मतदाता मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर न कर दे या अंगूठे का निशान न लगा दें तब तक उसे मतपत्र जारी न किया जाए।

जिन निकायों में मतदान स्थल पर एक से अधिक वार्ड के मतदाता रखे गए हैं वहाँ इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी है कि मतदाता को सदस्य हेतु उसी वार्ड से सम्बन्धित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में उसका नाम अंकित है। कार्य निष्पादन में सुविधा एवं सुगमता के लिए इस अधिकारी को चाहिए कि वह कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों के क्रमाँक लिख कर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लें और सम्बन्धित वार्ड के मतपत्रों की गड्डी को इन्हीं के ऊपर रखें। ऐसा करने से उसी वार्ड का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाता का क्रमाँक सदस्य पद के लिऐ दिए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा।

(3) मतदान अधिकारी–3 (पोलिंग ऑफिसर–3)

मतदान अधिकारी मतदाता को अध्यक्ष पद के लिए दिए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में से उसका क्रमाँक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। मतपत्र देते समय वह मतदाता के नाम के आगे (अपनी मतदाता सूची की प्रति में) सही का निशान लगाएगा। ध्यान रहे कि निर्वाचक नामावली की किसी भी प्रति में मतदाता के नाम के आगे मतपत्र का क्रमाँक कदापि न लिखें।

(4) मतदान अधिकारी–4 (पोलिंग ऑफिसर–4)

यह अधिकारी मतपत्र पर चिह्न लगाने के लिए दिए गए ऐरोक्रास सील एवं मतपत्र डालने हेतु रखी गई मतपेटी का प्रभारी होगा। वह मतदाता से मतपत्र लेगा और मतपत्र को दो बार पहली बार लम्बाई में और दूसरी बार चौड़ाई में इस तरह मोड़ेगा कि मतपत्र के पृष्ठ भाग पर दायें हाथ के कोने के ऊपरी सिरे पर सुभेदक चिह्न स्पष्ट दिखाई देता रहे। इसके बाद वह मतपत्र को खोलकर मतदाता को देगा। साथ ही मतदाता को स्याही लगी हुई ऐरोक्रास सील भी देगा। यदि कोई मतदाता विशेष रूप से अनुरोध करे तो उसे सादे कागज के एक टुकड़े पर निशान लगाकर भी बताएगा। तत्पश्चात् मतदाता से वह मतपत्र में मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपना मत अंकित करने के लिए कहेगा। मतदाता अपने मतपत्र पर अपना मत अंकित कर मतपत्र को उसी प्रकार से मोड़ेगा जिस प्रकार उसे दिए जाने से पहले उसे मोड़ा गया था और मतदान प्रकोष्ठ से बाहर आकर मतदान अधिकारी के सामने रखी मतपेटी में डाल देगा।

2. मतदान अधिकारी–3 मतदाता द्वारा मतदान स्थल छोड़ने से पहले उसकी बाईं तर्जनी अथवा अध्याय–2 के बिन्दु–12 के अनुसार जाँच करेगा और अपना समाधान करेगा कि उसके निर्धारित स्थान पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट रूप से बन गया है। यदि मतदाता ने उस चिह्न को मिटा दिया है अथवा वह स्पष्ट नहीं है तो फिर से निशान लगाने के लिए उसे मतदान अधिकारी–2 के पास भेजेगा जो निशान इस

तरह से लगाएगा कि चिह्न स्पष्ट हो और उसे तुरन्त ही मिटा न दिया जाए। यह मतदान अधिकारी बीच में रखी मतपेटी पर निरन्तर निगाह रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता अपना मत अंकित करने के बाद मतपेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच–बीच में मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को उसे दिए गए पुशर से अन्दर ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान प्रकोष्ठ में भेजने, मतपत्र को मतपेटी में डलवाने तथा मतदान के बाद उसे सक्रियता से मतदान कक्ष के बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा।

3. यथासम्भव प्रत्येक मतदान दल में एक महिला मतदान अधिकारी होगी। यथासम्भव अमिट स्याही लगाने का कार्य उसे दिया जाना उपयुक्त होगा ताकि कोई महिला मतदाता कोई आपत्ति न कर सके।

अध्याय–8

मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश करने तथा बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था

1. पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित मतदाताओं के अलावा केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान स्थल में प्रवेश करने दें:–

   (1) मतदान अधिकारी,

   (2) उम्मीदवार अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसका मतदान अभिकर्ता,

   (3) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

   (4) निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लगाए गए लोक सेवक,

   (5) आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं प्राधिकृत व्यक्ति,

   (6) मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा,

   (7) दृष्टिबाधित अथवा अशक्त व्यक्ति, जो किसी की सहायता के बिना चल फिर न सकता हो, के साथ वाला एक व्यक्ति,

   (8) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिए अथवा मतदान में अन्यथा अपनी सहायता के लिए मतदान केन्द्र में नियोजित करें,

   (9) यदि मतदान स्थल पर किसी महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति न की गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी महिला निर्वाचकों की सहायता के लिए किसी महिला की नियुक्ति कर सकता है,

   (10) किसी महिला निर्वाचक की पहचान के प्रयोजन से पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पति अथवा किसी अन्य निकट सम्बन्धी को मतदान स्थल में उसके साथ अन्दर जाने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु ऐसा व्यक्ति मतदान प्रकोष्ठ में महिला निर्वाचक के साथ प्रवेश नहीं करेगा।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतः पुलिस ऑफिसर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात "लोक सेवक" में शामिल नहीं होते। अतः सामान्य नियम के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मियों या विशेष पुलिस अधिकारी को, चाहे वे वर्दी में हो या सादे कपड़ों में, मतदान कक्ष के अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें अवश्य अन्दर बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार ड्यूटी पर "लोक सेवक" की श्रेणी में संघ तथा राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल नहीं हैं।

3. रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश है कि वे निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को पहचान पत्र जारी करें तथा आवश्यकता समझने पर उम्मीदवारों से उनके पहचान पत्र की माँग भी करें। उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ताओं से अपनी नियुक्ति पत्रों की दूसरी सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। सत्यापन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. अपने कर्तव्य के पालन में पीठासीन अधिकारी व दल के अन्य सदस्य केवल राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के निर्देश से आबद्ध हैं। अतः आयोग द्वारा नियुक्त/पदाभिहित जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के अलावा किसी अन्य

सरकारी उच्चाधिकारी या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं से कोई आदेश नहीं लेने हैं। मतदान स्थल में प्रवेश के मामले में उनके पास प्राधिकार पत्र होने की दशा में ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दें।

5. मतदाताओं की पहचान अथवा अपनी अन्य सहायता के लिए रखे गए ग्राम विकास अधिकारी अथवा परिचारक/परिचारिका को आमतौर पर मतदान स्थल के प्रवेश द्वारा के बाहर ही बैठाया जाए। उन्हें केवल मतदाता विशेष की पहचान करने अथवा मतदान सम्बन्धी विशेष प्रयोजन हेतु अपनी सहायता के लिए ही आवश्यकतानुसार मतदान स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

6. उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ताओं से कहा जाए कि वे मतदान प्रारम्भ होने के 15 मिनट पहले अवश्य पहुँच जाएं ताकि वे उस समय मौजूद रहें जब मतदान से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा हो। जो कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो, उसके बाद किसी अभिकर्ता के पहुँचने पर उसे पुनः नये सिरे से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। किसी मतदान अभिकर्ता के मतदान स्थल पर देरी से पहुँचने पर भी उसे आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने से मना नहीं किया जाएगा।

7. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्ररूप (प्ररूप–17) पर जारी किया गया नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यह जाँच कर लें कि उक्त नियुक्ति आपके मतदान स्थल के लिए ही है। इसके बाद मतदान अभिकर्ता को मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश करने के पूर्व कागजात (डाक्यूमेंट) पूरा करना होगा और उसमें दी गई घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष उसे अपना हस्ताक्षर करना होगा। मतदान अभिकर्ता उसे पीठासीन अधिकारी को देगा। ऐसे नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखा जाए तथा मतदान समाप्त होने पर उन्हें एक लिफाफे में रखकर अन्य कागजात के साथ रिटर्निंग अधिकारी को लौटा दिया जाए। यदि किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किसी कारण से उम्मीदवार/उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा रद्द की जाए तो उसे निर्धारित प्ररूप–18 में रद्द किया जाएगा।

8. मतदान स्थल में किसी को धूम्रपान की अनुमति न दें। यदि कोई मतदान अभिकर्ता धूम्रपान करना चाहे तो उसे मतदान स्थान के बाहर जाने को कहें।

9. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक कभी भी मतदान के दौरान मतदान स्थल पर आ सकते हैं, पहचान की सुविधा हेतु वे या तो बैज पहने रहेंगे या पीठासीन अधिकारी को अपना पास या नियुक्ति पत्र दिखाएंगे। पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है कि उनके द्वारा माँगी गई जानकारी उन्हें दें और उनसे विनम्रता और आदर भाव का व्यवहार करें। प्रेक्षक कोई निर्देश नहीं देंगे किन्तु यदि वे मतदान स्थल पर मतदाताओं को हो रही असुविधा दूर करने या मतदान की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव दें तो उस पर अवश्य विचार करें।

10. मतदान के समय जायजा लेने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी (आर0ओ0)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ए0आर0ओ0) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत जोनल मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे। वे निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान सम्पन्न कराने हेतु ही आएंगे। अतः उन्हें अपनी कठिनाई या समस्या बताने में कोई संकोच न करें और आवश्यक सहायता प्राप्त करें।

11. समाचार पत्रों के पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान स्थल के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा

दिए गए अधिकार पत्र के बिना उन्हें मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश न करने दें। किसी भी दशा में किसी फोटोग्राफर को मतदान प्रकोष्ठ (पोलिंग कम्पार्टमेन्ट) में नहीं जाने दिया जाए।

अध्याय–9

मतदान केन्द्र में और उसके आस पास निर्वाचन विधि लागू करना

1. मतदान में पीठासीन अधिकारी की व्यवहार कुशलता, दृढ़ता और विशेष रूप से निष्पक्षता मतदान के समय शान्ति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी दलों और उम्मीदवारों के साथ समान बर्ताव करें और प्रत्येक विवादस्पद विषय के बारे में न्यायोचित और निष्पक्ष भाव से निर्णय लें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान स्थल के किसी अन्य अधिकारी को कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका यह अर्थ लगाया जा सके कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को इससे लाभ मिलने की सम्भावनाएं बढ़ रही हैं।

2. मतदान स्थल से एक सौ मीटर की परिधि में मत संचायना करना एक अपराध है। ऐसा कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–130 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है।

3. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे बूथ से मतदाताओं के लिए बाधा उत्पन्न होने, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में मुठभेड़ होने और शान्ति और व्यवस्था की समस्या पैदा होने से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और सुचारु रूप से निर्वाचन कराने में कई कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। उम्मीदवार मतदान स्थल से सौ मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ वितरित करने के निमित्त अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सियों के साथ उन्हें धूप/वर्षा से बचाने के लिए ऊपर एक छाता या तिरपाल का एक टुकड़ा लगा सकते हैं। इन मेजों के चारों ओर भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए। यदि आयोग के उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो मतदान स्थल के चारों ओर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करें जिससे कि वह आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

4. यदि मतदान स्थल में या उसके निकट कोई व्यक्ति अनुचित/अवाँछनीय आचरण करता है या विधिपूर्ण निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसी समय और वहीं पर पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करा सकते हैं। पुलिस ऐसी कार्यवाही और ऐसा बल प्रयोग कर सकती है जो ऐसे आचरण की रोकथाम के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो। इन शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब अपरिहार्य हो और जब अनुनय या चेतावनी कारगर साबित न हो। यदि किसी मेगाफोन या लाउडस्पीकर के प्रयोग से मतदान के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो तो उसका प्रयोग रोकने के लिए कार्यवाही करानी चाहिए (लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा–131 व 132)।

5. ऐसे व्यक्ति का जो किसी निर्वाचन में मतपत्र को कपटपूर्ण ढंग से मतदान स्थल से बाहर ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसा करने में जानबूझ कर सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है, उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध होगा। इस सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–134 अवलोकनीय है।

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–134 में यह उपबन्ध है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पदीय कर्तव्य भंग का दोषी है तो उसे दण्डित किया जा सकता है।

7. उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम–61 में निम्न व्यवस्था हैः–ऐसा कोई व्यक्ति जुर्माने, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है,से दण्डनीय होगा जो,–

(1) निर्वाचक नामावली या इसकी प्रति या उक्त नियम के उल्लघंन में अन्य दस्तावेजों से संबंध रखता हो या उनके साथ छेड़छाड़ करता हो, या,

(2) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में नियुक्त या नियोजित किसी अधिकारी और सेवक को बाधा पहुंचाता हो या किसी भी रूप में उनके साथ हस्तक्षेप करता हो, या

(3) इस नियमावली के अधीन किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्यत्र लगाए गए या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रति, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विकृत करता हो, नुकसान पहुँचाता हो, विक्षुब्ध करता हो, या उन्हें हटाता हो।

अध्याय–10

मतपेटी की तैयारी

1. पीठासीन अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व मतपेटी तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें। मतपेटी को खोलने एवं बन्द करने हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट–26 में दिए गए हैं। तदनुसार मतपेटी खोल कर मतदान अभिकर्ताओं को मतपेटी की जाँच यह देखने के लिए कराएं कि मतपेटी खाली है (प्ररूप–19)।

2. मतपेटी की पहचान हेतु उसके अन्दर पता लिखी हुई एक ऐसी पर्ची रख दें जिसमें मतदान स्थल की पहचान के सभी ब्यौरे लिखे हों क्योंकि मतगणना के समय उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। पता लिखी हुई विवरण वाली पर्ची मतपेटी के हैण्डिल पर भी मजबूती से बाँध दें। पता लिखी हुई पर्ची निम्नलिखित प्ररूप में होगी :–

   नगरीय निकाय का नाम.....
   वार्ड क्रमाँक.....
   मतदान स्थल क्रमाँक और नाम.....
   मतपेटी क्रमाँक.....
   मतदान का दिनाँक.....

3. इस पर्ची में मतपेटी के क्रमाँक 01, 02 व 03 उसी क्रम में रखे जाएंगे जिस क्रम में मतपेटियाँ एक के बाद एक उपयोग में लाई गई हैं। मतपेटी के ऊपर जो पते वाली पर्ची चिपकाई जाएगी, उस पर उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त नीचे बताए गए तरीके के अनुसार मतपेटी की क्रम संख्या भी लिखी जाएगी। मतपेटी की क्रम संख्या एक भिन्न के रूप में होगी जिसमें उस मतपेटी की क्रम संख्या और उपयोग में लाई गई मतपेटियों की कुल संख्या दी गई होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान स्थल पर तीन मतपेटियाँ उपयोग में लाई गई हैं तो उस स्थल की मतपेटियों की क्रम संख्या निम्नवत् दर्ज की जाएगी :–

   (1) प्रथम मतपेटी पर 1/3
   (2) द्वितीय मतपेटी पर 2/3
   (3) तृतीय मतपेटी पर 3/3

   प्रत्येक मतपेटी पर क्रम संख्या मतपेटी भर जाने के बाद लिख दी जाए और मतदान समाप्त होने के पश्चात् उस पर उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या को/के रूप में अंकित किया जाए।

4. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतपेटी तैयार करने के समय यदि कोई मतपेटी दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाई जाए तो पहले सही दशा में उपलब्ध अन्य मतपेटी का उपयोग करें और उसी बीच क्षतिग्रस्त मतपेटी को बदलने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को सूचना भेजवाएं। यदि किसी कारणवश नई अतिरिक्त मतपेटी न मिल पाए तो दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मतपेटी पर कागज की सील चिपका कर उसे सुतली या डोरी से बाँध दें और उसके ऊपर सील लगा दें इस तथ्य का उल्लेख अपनी डायरी में "अति महत्वपूर्ण घटना" शीर्षक के अन्तर्गत करें।

5. जब पहले वाली मतपेटी भरने लगे और पुशर से दबाने के बावजूद भी मतपेटी में मतपत्र डालने में कठिनाई हो तो दूसरी मतपेटी (प्ररूप–20) तैयार करके उपयोग कर लें। साथ ही पहली मतपेटी को परिशिष्ट–26 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सीलबन्द कर मतदान स्थल में ही अपने बैठने के स्थान के पास सुरक्षित रखें।

अध्याय–11

मतपत्रों को जारी करने की तैयारी

1. मतदान कार्य समय से शुरू करने के लिए आवश्यक है कि मतदाताओं को मतपत्र जारी करने से पहले मतपत्रों की तैयारी मतदान के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले अवश्य कर लें।

2. किसी मतदाता को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठ भाग पर सुभेदक चिह्न वाली मुहर लगाना होगा। इस कार्य हेतु एक मुहर दी जाएगी जिसमें वार्ड संख्या तथा उसके नीचे उस मतदान स्थल का क्रमाँक निम्नानुसार अंकित होगाः–

9 / 10

उक्त से स्पष्ट होगा कि इसमें ऊपर का अंक वार्ड संख्या–9 के लिए है तथा नीचे का अंक मतदान स्थल संख्या–10 हेतु है। अर्थात् उक्त मुहर वार्ड–9 के मतदान स्थल संख्या–10 से सम्बन्धित है। यदि छोटे स्थानीय निकायों में एक मतदान स्थल पर एक से अधिक वार्डो के मतदाताओं द्वारा मतदान करना है तो मतपत्रों के पीछे निम्न प्रकार की सुभेदक चिह्न वाली मुहर प्रयोग में लाई जाएगीः–

नगरीय निकाय का नाम.....
वार्ड संख्या.....
मतदान स्थल क्र0..... 10

उक्त मुहर में वार्ड संख्या केवल सदस्य के निर्वाचन हेतु लिखा जाना है जो अलग अलग वार्ड के लिए अलग होंगे। मतदान स्थल क्रमाँक पहले से मुहर पर अंकित होगा। अध्यक्ष के चुनाव हेतु निर्धारित मतपत्र पर केवल मुहर लगाना पर्याप्त है, वार्ड संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुहर को मतपत्र तथा मतपत्र के प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर लगाया जाएगा। मुहर पर अत्यधिक स्याही न लगाई जाए जिससे स्याही इधर उधर न फैले तथा मतदान स्थल की संख्या स्पष्ट हो। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या–9 से अधिक हो तो वहाँ मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होंगे। ऐसी दशा में सुभेदक चिह्न वाली मुहर मतपत्र के पीछे के भाग पर मतपत्र को लम्बरूप में दो भागों में विभाजित करने वाली बीच की रेखा के दाहिनी तरफ सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाई जाए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि मतपत्र की मतपेटी में डालने के लिए मोड़ने के बाद सुभेदक चिह्न वाली मुहर बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

3. मतपत्रों के पीछे की ओर ऐसी सुभेदक चिह्न वाली मुहर लगाने के बाद पीठासीन अधिकारी को अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने हैं। नियमतः प्रत्येक मतदाता को मतपत्र जारी करने से पूर्व अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। सुविधा की दृष्टि से मतदान प्रारम्भ होने से पहले 50–50 मतपत्रों वाले दो–तीन बंडलों के मतपत्रों पर मतदान के ठीक पूर्व हस्ताक्षर कर लें। जैसे जैसे मतदान का कार्य बढ़े उसके अनुसार शेष मतपत्रों पर आवश्यकतानुसार अपने हस्ताक्षर करें क्योंकि आपको यह सुनिश्चित करना है कि केवल उतने ही मतपत्रों पर हस्ताक्षर करें जितने जारी करने के लिए जरूरी हों। अतः मतदान समाप्ति के क्षणों में आवश्यक होगा कि मतदाता के आने पर प्रत्येक मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर किए जाएं। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि मतदान समाप्त होने के पश्चात् अप्रयुक्त मतपत्रों के बण्डल में हस्ताक्षरयुक्त कोई मतपत्र नहीं रखा गया है।

4. मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मतदान अभिकर्ताओं का उन मतपत्रों को जिनका उपयोग आपके मतदान स्थल में किया जाएगा, पहली और अंतिम क्रम संख्या नोट कर लेने दें (प्ररूप–19)। इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण होने के कारण पीठसीन अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निरस्त किए गए मतपत्रों की क्रम संख्या भी नोट कर लेने दें। यह ध्यान रहे कि किसी भी मतदाता को जारी किए गए मतपत्र का क्रमाँक मतदान अभिकर्ता को नोट करने की अनुमति न दें। मतदान की गोपनीयता भंग हो जाने वाली कोई सूचना किसी भी अन्य व्यक्ति को न दी जाए।

5. मतदान अभिकर्ता किन्हीं विशेष मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों की क्रम संख्या नोट न कर सकें इसके लिए जरूरी है कि मतपत्रों को क्रमवार जारी न किया जाए बल्कि उन्हें बेतरतीब क्रम संख्या में जारी किया जाए। मतपत्रों की एक किताब/बण्डल में रखे मतपत्रों का क्रम बदलना तो सम्भव नहीं होगा, इसलिए मतपत्रों के बण्डलों/किताबों में से आगे या पीछे या बीच में से कहीं से भी दो तीन किताब लेकर किताबें क्रमवार न जारी करके बेतरतीब जारी करें ताकि उसका क्रम बदल जाए किन्तु मतपत्रों का क्रम बदलने की यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति के समय न दोहराई जाए। इससे मतदान पूर्ण होने पर मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों की क्रम संख्या की निरन्तरता बनी रहेगी और मतपत्र लेखा बनाने में आसानी रहेगी।

6. मतदान के दिन प्रथम मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम आधे घण्टे पहले मतदान स्थल से बाहर यह सूचनाएं प्रदर्शित करें जो अध्याय–6 मतदान स्थल की स्थापना एवं व्यवस्था के बिन्दु–6 में वर्णित है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति (उम्मीदवारों के चुनाव चिह्न सहित) आसानी से दिखने वाले स्थान पर निर्वाचन कक्ष के अन्दर भी प्रदर्शित करें। निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदान स्थल भवन की ठीक बाहरी दीवार पर लगा देनी चाहिए।

अध्याय–12

मतदान का प्रारम्भ

1. मतदान प्रारम्भ करने के लिए जो समय नियत हो ठीक उसी समय पर मतदान शुरू कर दिया जाए। आप द्वारा किए जाने वाले सभी प्रारम्भिक कार्य उस समय तक पूरे हो जाने चाहिए। दुर्भाग्य से यदि उस समय तक प्रारम्भिक कार्य पूरे न हुए हों तो मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर लगभग आधा दर्जन मतदाताओं को मतदान स्थल के अन्दर आ जाने दें और मतदान अधिकारियों को उनकी पहचान आदि के सम्बन्ध में तब तक कार्यवाही करने दें जब तक कि आप द्वारा प्रारम्भिक कार्य पूरे न कर लिए जाएं। मतदान शुरू करने के लिए नियत समय पर प्रारम्भिक कार्यों को पूरा न हो पाना उचित नहीं है तथा इस बात का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, क्योंकि यह निर्वाचन पदीय कर्त्तव्य भंग की श्रेणी में आ सकता है। यदि किसी कारण से नियत समय पर मतदान प्रारम्भ नहीं हो पाता है तो भी मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को, सिवाय उस स्थिति में जैसा कि अध्याय–17 में उपबन्ध किया गया है, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

2. मतदान की गोपनीयता

मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व सभी उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में उनके कर्तव्य और उनका उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–128 के उपबन्धों को समझा दिया जाए।

3. अमिट स्याही लगाना

अमिट स्याही लगाने वाले मतदान अधिकारी इस सम्बन्ध में काफी सावधानी बरतें। मतदान के दौरान अमिट स्याही की शीशी इस प्रकार रखी जाए कि वह टेढ़ी न हो जाए और स्याही न फैले। इसके लिए आप एक प्याले या चौड़े पेंदे वाले किसी पात्र में कुछ रेत या मिट्टी भर लें और उस बर्तन के बीच में उस शीशी का तीन चौथाई भाग रेत या मिट्टी के अन्दर दबा लें जिससे कि वह रेत या मिट्टी में अच्छी तरह जम जाए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि उसकी डाट के साथ लगी हुई प्लास्टिक की सींक शीशी में सीधी लगी रहे और उसे केवल मतदाताओं के, अध्याय–2 के बिन्दु–12 के अनुसार, निशान लगाने के लिए ही निकाला जाए। इस सींक को उसके निशान लगाने के सिरे को नीचे की ओर लम्बाई की ओर रखकर सीधा पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो कुछ स्याही सींक से गिर जाएगी और वह उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की अंगुलियों को खराब कर देगी।

4. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना

पुरूष तथा महिला मतदाताओं के लिए पृथक्–पृथक् लाइनें होनी चाहिए। लाइन बनवाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति आपके निर्देशानुसार, एक बार में तीन या चार मतदाताओं को मतदान स्थल के भीतर आने की अनुमति देंगे। अन्य मतदाताओं को जो अन्दर आने की प्रतीक्षा में खड़े हों, बाहर लाइन में खड़ा करना चाहिए। अशक्त मतदाताओं को और ऐसी महिला मतदाताओं को जिनकी गोद में बच्चे हों, लाइन में खड़े अन्य मतदाताओं से आगे खड़ा किया जा सकता है। पुरूष और महिला मतदाताओं को बारी बारी से चार पांच की टोलियों में अन्दर आने की अनुमति दी जानी चाहिए। पुरूष मतदाता या महिला मतदाता के लिए एक से अधिक लाइन बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

5. यदि कोई निर्वाचक मतदान प्रकोष्ठ में अनावश्यक देरी कर रहा है तो पीठासीन अधिकारी मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और मतदान की निर्विघ्न और त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो प्रवेश करना चाहें, प्रवेश कर सकेंगे।

6. किसी मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी किसी निर्वाचक द्वारा मतदान के लिए अनुदेशों को स्पष्ट किए जाने का अनुरोध करने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिए गए अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

अध्याय–13

निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और आपत्ति की दशा में प्रक्रिया

1. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन

निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर सीधे मतदान अधिकारी–1 के पास जाएगा। मतदान अधिकारी को निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के अनुसार उसकी पहचान का समुचित रूप से सत्यापन कर लेना चाहिए। सामान्यतया प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक गैर सरकारी पहचान पर्ची लाता है जो उसे किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ताओं द्वारा दी जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी निर्वाचक द्वारा ऐसी पर्ची लाना मतदाता की पहचान की गारण्टी नहीं है और न इससे मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान किए जाने के अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यद्यपि ऐसी पर्ची से निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता से सम्बन्धित प्रविष्टियों के ढूंढ़ने में सहायता मिल सकती है फिर भी अपने आपसे यह नहीं माना जा सकता कि पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही सही मतदाता है। इसके अतिरिक्त निरक्षर मतदाता पहचान पर्ची की प्रविष्टियाँ पढ़ नहीं सकता और अपना यह समाधान नहीं कर सकता कि उसके पास की पर्ची वस्तुतः उससे ही सम्बन्धित है। अतएव मतदान अधिकारी–1 को चाहिए कि वह उस पर्ची को ले ले और निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की प्रविष्टि की केवल क्रम संख्या पढ़े और पर्ची से उसका नाम तथा अन्य विवरण न पढ़े। तत्पश्चात् मतदान अधिकारी को उस व्यक्ति से अपना नाम और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से सम्बन्धित अन्य विवरण ऊँचे स्वर से बताने के लिए कहना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला ही वास्तविक मतदाता है। यदि पूरा समाधान न हो पाए तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए जो निर्वाचक की पहचान के बारे में अपना समाधान करने के लिए और जाँच करेगा। पीठासीन अधिकारी को किसी निर्वाचक को पुलिस को सौंपने में हिचकना नहीं चाहिए, यदि यह साबित हो जाए कि वह प्रतिरूपण कर रहा है अर्थात् अन्य मतदाता बनकर मतदान करना चाहता है।

यदि महिला मतदाताओं, विशेषतः पर्दानशीन महिलाओं की संख्या बहुत अधिक हो तो उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन करने के लिए महिला मतदान अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

यद्यपि सामान्यतः मतदान स्थल पर आने वाले मतदाता को वास्तविक मतदाता माना जाता है फिर भी इस अवधारणा को अकाट्य नहीं कहा जा सकता है। यदि वहाँ पर विद्यमान परिस्थितियों में जैसे निर्वाचक नामावली में दी गई निर्वाचक की आयु और उस व्यक्ति को देखकर उसकी अभिनिश्चित की जा सकने वाली आयु में अन्तर मालूम होने से कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे मतदाता की सही सही पहचान और वास्तविकता के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिए। ऐसी दशा में उसे केवल पहचान पर्ची प्रस्तुत करने से मतदाता की पहचान स्वीकार नहीं करना चाहिए और मामला पीठासीन अधिकारी को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर देना चाहिए।

2. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची

ऐसा सम्भव है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं के नामों की सूची लाएं। उम्मीदवार भी कोई ऐसी सूची दे

सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूची के आधार पर मतदाता होने का दावा करता है तो उस व्यक्ति के पहचान की कड़ाई से जाँच करें। इसे औपचारिक रूप से आपत्ति नहीं माना जाएगा।

3. किसी मतदाता की पहचान के बारे में आपत्ति करना

प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है, निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है। जब तक कि किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति न की जाए या जब तक कि स्पष्ट रूप से यह समाधान न हो जाए कि वह फर्जी मतदाता है, सामान्यतः यही माना जाना चाहिए कि वह व्यक्ति वही मतदाता है जो मतदाता होने का दावा करता है और नाम तथा अन्य विवरण सही–सही बताता है। यदि कोई आपत्ति की गई हो या यदि वहाँ पर विद्यमान परिस्थितियों से उस व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह हो तो संक्षिप्त जाँच कर उसका विनिश्चय करना चाहिए।

4. आपत्ति की फीस

किसी मतदाता की पहचान के बारे में किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता की कोई आपत्ति तब तक नहीं ग्रहण करनी चाहिए जब तक कि आपत्तिकर्ता नकद पांच रूपये का भुगतान न कर दे। इस धनराशि का भुगतान कर दिए जाने के पश्चात् आपत्तिकर्ता को प्ररूप–24 में उसकी रसीद दे दें। जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति की गई है उस व्यक्ति को प्रतिरूपण (पर रूपधारण) के लिए दण्ड के बारे में चेतावनी दें कि ऐसा करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 171–घ में दण्डनीय अपराध है। निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी पढ़ें और उससे पूछें कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसका उस प्रविष्टि में उल्लेख है। उसका नाम और पता आपत्तिकृत मतों की सूची (प्ररूप–23) में दर्ज करें और उस पर उससे अपना हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहें। यदि वह ऐसा करने से इन्कार करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति न दें।

5. संक्षिप्त जाँच

सर्वप्रथम आप आपत्तिकर्ता से यह कहें कि वह यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति की गई है वह व्यक्ति वह मतदाता नहीं है जो होने का दावा करता है। यदि आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति के समर्थन में प्रथम दृष्ट्या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आप उस आपत्ति को अस्वीकार कर दें और उस व्यक्ति को, जिसके बारे में आपत्ति की गई है, मत डालने की अनुमति दे दें। यदि आपत्तिकर्ता प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो आप उस व्यक्ति से जिसके बारे में आपत्ति की गई है, उसका खण्डन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अर्थात् यह साबित करने के लिए कहें कि वह व्यक्ति वही मतदाता है जिसे होने का दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा साबित कर देता है तो उसे मत देने की अनुमति दे दी जाए। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यह मान लिया जाए कि आपत्ति सिद्ध हो गई है। जाँच के दौरान उससे आवश्यक प्रश्न पूछें जैसे कि उस वार्ड में कब से रह रहा है, क्या काम करता है और कहाँ काम करता है, उसके रिश्तेदार व पड़ोसी कौन हैं, किराए पर रहता है तो मकान मालिक कौन है और किराया कितना है, मकान मालिक क्या करता है, वार्ड के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं और प्रश्नगत मतदाता के पड़ोसियों तथा वहाँ उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति से सही तथ्यों का पता लगा सकते हैं। साक्ष्य लेते समय आप उस व्यक्ति को जिसके बारे में आपत्ति की गई

है या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं। यदि आपत्ति सिद्ध हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप उस व्यक्ति को वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के हवाले कर दें और साथ में अपनी शिकायत (प्ररूप–28) में उस थाने के जिसकी अधिकारिता में आपका मतदान स्थल पड़ता है, थानाध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए भेज दिया जाए। इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में भी यथास्थल विवरण सहित अंकित करें।

6. आपत्ति की फीस का लौटाया जाना या उसे जब्त करना

जाँच समाप्त होने के तुरन्त बाद ऐसे मामले को छोड़कर जिसमें आपकी राय हो कि आपत्ति तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, अन्य प्रत्येक मामले में पाँच रूपए की आपत्ति की फीस उस व्यक्ति को जिसने आपत्ति की हो, प्ररूप–23 "आपत्ति किए गए मतों की सूची" के स्तम्भ–10 में आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करें और रसीद बही में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर प्राप्ति की रसीद लेने के पश्चात् लौटा दें। जिस मामले में आपकी राय हो कि आपत्ति तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, आपत्ति फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर लें और उसे आपत्तिकर्ता को न लौटायें और प्ररूप–23 के स्तम्भ 10 में तथा रसीद बही में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर करवाने या अंगूठे का निशान लगवाने के बजाए शब्द ''जब्त की'' लिख दें।

7. नामावली में लेखन और मुद्रण सम्बन्धी भूल की अनदेखी करना

कभी कभी निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के बारे में अशुद्ध विशिष्टियाँ छप जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, उदाहरण के लिए मतदाता की वास्तविक आयु के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य प्रविष्टि में लेखन और मुद्रण की भूल की अनदेखी कर दें परन्तु निर्वाचक नामावली में दर्ज विशिष्टियों के अनुसार मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में अन्य प्रकार से समाधान कर लें और प्रत्येक मतदाता से सम्बन्धित प्रविष्टि को निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में स्याही से अंकित कर देनी चाहिए।

8. निर्वाचक द्वारा अपनी आयु की घोषणा

किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम प्रतीत हो, उसके बारे में स्पष्ट रूप से समाधान कर लेना चाहिए और उस निर्वाचक से उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिस वर्ष के सम्बन्ध में वार्ड की वर्तमान निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई हो, उसकी आयु के बारे में प्ररूप–21 के अनुसार एक घोषणा प्राप्त करना चाहिए। ऐसे निर्वाचक से उक्त घोषणा प्राप्त करने से पूर्व आपको उसे झूठी घोषणा करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–31 के दण्डात्मक उपबन्ध के बारे में सूचित कर देना चाहिए।

ऐसे मतदाताओं, जिनसे ऐसी घोषणा प्राप्त की गई हो, की प्ररूप–22 में एक सूची भी तैयार करनी चाहिए। उक्त प्ररूप–22 के भाग–2 में उन मतदाताओं की सूची भी रखनी चाहिए जो उपर्युक्त घोषणा देने से इन्कार करें और अपना मत दिए बिना चले जाएं। मतदान की समाप्ति के बाद उपर्युक्त सूची और घोषणाएं एक साथ एक अलग आवरण में रखी जानी चाहिए।

अध्याय–14

निविदत्त मतपत्र और मतपत्रों का रद्द किया जाना

1. निविदत्त मत पत्र

ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जो अपने को एक विशिष्ट निर्वाचक बता रहा हो, उस समय मत देने के लिए आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो। ऐसे मामले में उससे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिन्हें उसकी पहचान के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझा जाए। यदि उसकी पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाता है तो अध्याय–2 के बिन्दु–12 के अनुसार अमिट स्याही का निशान लगवाने के पश्चात् निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप–25) में आवश्यक प्रविष्टि की पूर्ति करेंगे और उस पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे। इसके बाद उसे एक सामान्य मतपत्र दिया जाएगा जो मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाये गए किसी अन्य मतपत्र के समान होगा सिवाय इसके कि (1) वह मतपत्र दिए गए मतपत्रों के बण्डल से अंतिम क्रमाँक पर होगा और (2) ऐसे मतपत्र के पृष्ठ भाग और उसके प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हाथ से शब्द ''निविदत्त मतपत्र'' लिखे जाएंगे और हस्ताक्षर किए जाएंगे। तब मतदाता निविदत्त मतपत्र पर मतदान प्रकोष्ठ में जाकर चिह्न लगाएगा और उसे मोड़ देगा। इसके बाद वह उस मतपत्र को पीठासीन अधिकारी को देगा और उसे मतपेटी में नहीं डालेगा। सभी निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप–25 में उनकी सूची को विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए रखे गए एक आवरण में रखा जाएगा और मतदान समाप्त होने पर उसे मुहर बन्द कर दिया जाएगा। यदि इस प्रकार प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों की संख्या मतदान में प्रयोग किए कुल मतदाताओं की संख्या का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है, को आवरण पर मोटे अक्षरों में "असाधारण निविदत्त मतपत्र संख्या" अंकित की जाएगी तथा पीठासीन अधिकारी को यह तथ्य अपनी डायरी में भी उल्लिखित करना चाहिए। ऐसे निविदत्त मतपत्रों का समुचित विवरण मतपत्र लेखा (प्ररूप–30) के भाग एक के स्तम्भ–4 (ग) में रखा जाएगा।

मतदान स्थल/केन्द्र पर फर्जी मतदान की लिखित शिकायत उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर निविदत्त मतपत्रों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए मतदान की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को मतदान के दिन ही देगा और अपनी डायरी में उल्लेख करेगा ताकि सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट उक्त शिकायत की छानबीन मौके पर कर सकें। प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा ली जाए।

2. मतदान कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

आपत्ति किए गए मतों या निविदत्त मतों के सभी मामलों में आप स्वयं कार्यवाही करें अन्यथा मतदान रूक जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप अन्य प्रतीक्षारत मतदाताओं को असुविधा होगी तथा विलम्ब होगा।

3. (1) मतपत्र का रद्द किया जाना

यदि कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् मत नहीं देना चाहता है तो वह उस मतपत्र को उस पर चिह्न लगाए बिना आपको वापस कर सकता है। ऐसे मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर शब्द ''लौटाया गया/रद्द किया गया'' लिखकर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मतपत्र को रद्द किए गए मतपत्रों के

आवरण में रखा जाएगा और उनका विवरण प्ररूप–30 के भाग–एक मतपत्र लेखा के स्तम्भ–4 (ख) में रखा जाएगा।

(2) खराब किए गए मतपत्र

यदि किसी निर्वाचक ने मतपत्र पर गलत चिह्न लगा दिया है अर्थात् पहले उस पर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में चिह्न लगा दिया हो और बाद में सोचने पर वह किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में मत देना चाहता हो या उसने उसे खराब कर दिया हो और उसे आपको वापस करता है तो उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक मामले में मतदाता को उसकी असावधानी के बारे में आपको सावधान कर देना चाहिए। इस प्रकार लौटाये गए मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर शब्द ''खराब किया गया/रद्द किया गया'' अंकित कर मतपत्र को एक पृथक् आवरण में रखा जाएगा जिसे मतदान समाप्त होने पर मुहर बन्द कर दिया जाएगा। ऐसे रद्द किए गए मतपत्रों का विवरण मतपत्र लेखा (प्ररूप–30) भाग–1 के स्तम्भ–4 (ख) में रखा जाएगा।

(3) मतपेटियों से बाहर पाए गए मतपत्र

यदि कोई मतपत्र, जो निर्वाचक द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला गया हो और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाए तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और उस पर ''खराब किया गया/रद्द किया गया'' अंकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए लिफाफे में रखा जाएगा और पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(4) यदि किसी मतपत्र का कुछ अंश मतपेटी के अन्दर और कुछ अंश बाहर निकला हो, तो ऐसे मतपत्र को पीठासीन अधिकारी पुशर के माध्यम से मतपेटी के अन्दर कर देगा।

अध्याय–15

दृष्टिबाधा या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक/साथी उपलब्ध कराना

1. यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाए कि कोई निर्वाचक निरक्षरता, दृष्टिबाधा या किसी अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र पर उम्मीदवार के नाम व प्रतीकों को बिना सहायता के पहचानने या उन पर अपना मत अंकित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपने साथ कम से कम अठ्ठारह वर्ष का एक साथी उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने, जिससे मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डालने के लिए मतदान प्रकोष्ठ में ले जाने की अनुमति देगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को उस दिन के मतदान में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति से यह घोषणा पत्र (प्ररूप–26) प्राप्त किया जाएगा कि वह उक्त निर्वाचक की ओर से अभिलिखित किए गए मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन किसी भी मतदान स्थल पर किसी अन्य निर्वाचक के सहायक/साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

3. दृष्टिबाधा या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक/साथी की अनुमति दिए जाने वाले सभी प्रकरणों का अभिलेख पीठासीन अधिकारी प्ररूप–27 में रखेगा।

अध्याय–16

बलवा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन

यदि बलवा हो जाए या खुले तौर पर हिंसा करने का कोई प्रयास किया जाए तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करें। फिर भी यदि वह नियंत्रित न हो सके और मतदान को जारी रखना असम्भव हो जाए तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना असम्भव हो जाए तो भी मतदान स्थगित कर देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वर्षा होना या आँधी आना मतदान के स्थगन के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में सारे तथ्य रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल सूचित किए जाएं। जहाँ कहीं भी मतदान स्थगित किया जाए वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के समक्ष औपचारिक रूप से घोषणा की जाए कि पुनः मतदान बाद में आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी दिनाँक को होगा (प्ररूप 29)। मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सभी मतपेटियाँ इत्यादि को मुहरबन्द कर दें और सुरक्षित रख दें मानो मतदान सामान्य रूप से समाप्त हो गया हो। मतदान स्थगित करने का जो विवेकाधिकार आपको दिया गया है, उसका प्रयोग केवल अपवाद स्वरूप उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मतदान कराना वस्तुतः असम्भव हो गया हो।

अध्याय–17

मतदान बन्द होने के समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया व मतदान की समाप्ति

1. मतदान बन्द करने के समय कुछ मिनट पूर्व उन सभी व्यक्तियों के समक्ष जो मतदान स्थल की सीमा के भीतर अपना मत देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी बारी से अपना मत अभिलिखित करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करके पर्चियाँ क्रमानुसार क्रम संख्या–1 से आगे उस समय वहाँ पर पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुरूप देगा। यह देखने के लिए पुलिस या अन्य कर्मचारियों को तैनात कर दें कि मतदान बन्द होने के लिए नियत समय के बाद इस पंक्ति में अन्य कोई भी व्यक्ति सम्मिलत न हो पाए। इस बात को प्रभावकारी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति से आरम्भ करते हुए सबसे आगे खड़े व्यक्ति की ओर बढ़ा जाए।

2. मतदान की समाप्ति, मतदान बन्द किए जाने के नियत समय पर मतदान स्थल में उपस्थित सभी मतदाताओं द्वारा पूर्ववर्ती पैरा में यथा उपबन्धित रीति से मत डाल दिए जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को औपचारिक रूप से मतदान समाप्त हो जाने की घोषणा करनी होगी और इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. किसी निर्वाचक को मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहाँ पर उपस्थित समझा जाए अथवा नहीं, के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय–18

मतपेटियों और निर्वाचन पत्रों को बन्द करना और सील करना

1. (1) मतदान पूरा हो जाने के पश्चात् सर्वप्रथम मतपेटी की दायर (स्लिट) बन्द कर दें और मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में उसे सुरक्षित रख दें।

(2) परिशिष्ट–26 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार मतदान स्थल की मतपेटी/मतपेटियों को बन्द करने और सुरक्षित रखने के पश्चात् मतपेटी के चारों ओर लम्बाई और चौड़ाई में एक रिबन या फीता इस प्रकार लपेट दें कि रिबन या फीता ढक्कन पर एक दूसरे के ऊपर हैण्डिल के नीचे से, यदि कोई हो, होकर जाए और उसमें एक मजबूत गाँठ लगा दें और उस गाँठ पर कोई मोटे कागज या गत्ते का टुकड़ा रखकर मुहर लगा दें। वहाँ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से भी, यदि वे ऐसा करना चाहें, उस पर अपनी मुहर लगाने या अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहें। इसके पश्चात् मतपेटी/मतपेटियों को या तो–

(i) मतपेटी के साथ दिए गए मजबूत कैनवास अथवा जूट के थैले में रख दें जिसमें उसे मजबूत रस्सी से या अन्य प्रकार से बन्द करने की व्यवस्था हो और आप उस थैले को बन्द कर दें और उस पर अपनी मुहर लगा दें, या

(ii) यदि कोई थैला नहीं दिया गया है तो नये कपड़े से लपेट दें जो सिला जाएगा और उसकी सिलाइयों पर अपनी मुहर लगा दें।

(iii) दोनों ही दशाओं में वहाँ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से अपनी मुहर लगाने के लिए, यदि वह ऐसा करना चाहें, कहना चाहिए। यथास्थिति कैनवास के थैले या कपड़े के आवरण पर पते की पर्ची और लेबल भी मजबूती से और समुचित रीति से लगा दें। इस पते की पर्ची और लेबल पर वही विवरण होगा जो अध्याय 10 में निर्दिष्ट मतपेटी के बाहर लगी पते की पर्ची पर हो। पते की पर्ची और लेबल को स्पष्ट रूप से भरा जाएगा जिससे संग्रह केन्द्र पर और उसके बाद मतगणना केन्द्र पर किसी बात का भ्रम उत्पन्न न हो।

(iv) पते की पर्ची और लेबल में दिया गया विवरण कैनवास के थैले या कपड़े के आवरण पर लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। पते की पर्ची और लेबल का प्रयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2. मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों की संख्या के सत्यापन हेतु मतदान की समाप्ति पर निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और मतपत्रों के प्रभारी, मतदान अधिकारी इस बात की जाँच करेंगे कि जिन निर्वाचकों को उन्होंने निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अनुसार मतपत्र जारी किए हों, उन निर्वाचकों की कुल संख्या और निविदत्त मतों की सूची में की गई प्रविष्टि के अनुसार दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या और खराब किए गए मतपत्रों के बदले में जारी किए गए मतपत्रों की संख्या से मिल जाएं और उन्हें उसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी करा लिया जाए और उस पर उनके हस्ताक्षर करा लिए जाएं। प्रथम मतदान अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह महिला मतदाताओं की संख्या भी मालूम करें और उसे अभिलिखित करें।

3. मतपत्र लेखा तैयार करना

मतदान की समाप्ति पर उन समस्त मतपत्रों का पूरा विवरण तैयार किया जाएगा जो आपको दिए गए हों और जिनका उपयोग मतदान स्थल पर किया गया हो अर्थात् ऐसे मतपत्र (एक) जो वस्तुतः मतदाताओं को जारी किए गए हों (दो) जिनका प्रयोग निविदत्त मतपत्र के रूप में किया गया हो, (तीन) जिन्हें किसी एक या दूसरे कारण से रद्द किया गया हो और (चार) जिन्हें बिना उपयोग किए वापस कर दिया गया हो। ऐसे मतपत्रों का लेखा प्ररूप–30 के भाग–01 में तैयार किया जाएगा और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

यह याद रखें कि मतपत्र लेखा में, आपके द्वारा प्राप्त किए गए मतपत्रों की कुल संख्या निम्नलिखित मतपत्रों की कुल संख्या के समान होनी चाहिएः–

(1) मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र (किसी भी कारण से रद्द किए गए या निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किए गए मतपत्रों को छोड़कर)।

(2) निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र।

(3) उपयोग में न लाए गए मतपत्र।

(i) ऐसे मतपत्र, यदि कोई हों, जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हों,

(ii) जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हों,

यह लेखा बिल्कुल सही होना चाहिए अन्यथा इससे मतगणना के समय गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप मतपत्र लेखा तैयार करते समय समुचित ध्यान रखें और सावधानी बरतें।

मतपत्र लेखा (प्ररूप–30) में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता की जाँच करने का एक आसान तरीका यह है कि किसी मतदान स्थल में प्रयुक्त मतपत्रों की कुल संख्या (स्तम्भ संख्या–3), स्तम्भ–1 में दी गई संख्या से अप्रयुक्त मतपत्रों की कुल संख्या को घटाकर निकाली गई संख्या के बराबर है। सरल शब्दों में स्तम्भ–3 की संख्या, स्तम्भ–1 से स्तम्भ–2 को घटाकर निकाली गई संख्या के बराबर है किन्तु इसमें स्तम्भ संख्या–4 की संख्या सम्मिलित है। मतपत्रों की कुल संख्या जो वस्तुतः मतदाताओं को जारी किए गए हैं और जिन्हें उन्होंने मतपेटी/मतपेटियों में डाला होगा, स्तम्भ–3 में से स्तम्भ–4 की संख्या घटाकर निकाली गई संख्या के बराबर होगी और ऐसी संख्या को स्तम्भ–5 में सम्यक् रूप से भरे गए प्ररूप–30 का उपर्युक्त उदाहरण स्वतः स्पष्ट है।

4. मतदान अभिकर्ताओं को मतपत्र लेखा की प्रति का दिया जाना

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियमानुसार मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप–30 के भाग–01 में आपके द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित प्रति अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् दे दें। अतएव मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को (प्रत्येक उम्मीदवार के केवल एक मतदान अभिकर्ता को) मतपत्र लेखा की अभिप्रमाणित प्रति उसके माँगे बिना ही दे देनी चाहिए। ऐसी प्रति को प्राप्त करने के प्रतीक स्वरूप प्ररूप–32 में विहित घोषणा के प्ररूप पर उनके पूरे हस्ताक्षर ले लें। ऐसी घोषणा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपने इस अपेक्षा का

पालन कर लिया है। उक्त घोषणा में आप उस/उन मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं का/के नाम भी, यदि कोई हो, लिख दें जिसने/जिन्होंने मतपत्र लेखा की प्रति लेने और उस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो।

आप मतपत्र लेखा की अपेक्षित प्रतियाँ तैयार कर सकें इसके लिए आपको छपे हुए प्ररूप–30 की उतनी प्रतियाँ दी जाएंगी जितनी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या हो और एक या दो प्रतियाँ मूल विवरण के लिए दी जाएंगी। यदि सम्भव हो तो मूल विवरण में प्रविष्टियाँ करते समय ही आपको अपेक्षित कार्बन प्रतियाँ तैयार कर लेनी चाहिए ताकि मतदान अभिकर्ता को दी जाने वाली ऐसी प्रतियाँ और मूल विवरण हर प्रकार से समान हो।

5. निर्वाचन सम्बन्धी प्रपत्रों को सील बन्द करना

मतदान समाप्त होने पर निर्वाचन सम्बन्धी सभी प्रपत्रों को अलग अलग पैकेटों में सील बन्द कर दें। इस प्रकार सील बन्द किए गए सभी पैकेट, सिवाय उन आवरणों के जिनमें (एक) मतपत्र लेखा, (दो) पत्र मुद्रा लेखा, (तीन) पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएं और (चार) पीठासीन अधिकारी की डायरी रखे गए हों, जैसा कि आगे बिन्दु–6 में स्पष्ट किया गया है, चार बड़े पैकेटों में रखकर रिटर्निंग अधिकारी को भेज दिया जाएगा। जिन आवरणों में (एक) मतपत्र लेखा प्ररूप–30 (दो) पत्रमुद्रा लेखा प्ररूप–31 (तीन) पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएं प्ररूप–19 और (चार) पीठासीन अधिकारी की डायरी प्ररूप–33, रखी गई है, उन्हें अलग से निर्वाचन सम्बन्धी प्रपत्रों की प्राप्ति केन्द्र पर हस्तगत कराना चाहिए।

आप मतदान स्थल में उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार या उसके मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान स्थल पर उपस्थित हों, उन लिफाफों और पैकेटों पर जो अपनी मुहर लगाना चाहते हों उन्हें ऐसे सांविधिक तथा असांविधिक लिफाफों पर मुहर लगाने की अनुमति दे दें।

6. सांविधिक आवरणों, असांविधिक आवरणों और निर्वाचन सामग्री को बन्द करना

सीलबन्द मतपेटियों, निर्वाचन सम्बन्धी प्रपत्रों और सभी अन्य सामग्री को जमा करने के स्थान पर विलम्ब होने और प्रतीक्षा करने की असुविधा से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि आप सभी आवरणों और अन्य सामग्री को चार अलग अलग पैकेटों में रखें जैसा कि नीचे स्पष्ट किया जाता है और उन्हें उनकी प्राप्ति के लिए नियत स्थान पर सौंप दें।

(1) पहले पैकेट में निम्नलिखित मुहरबन्द लिफाफे रखें और उस पर "सांविधिक आवरण" लिख दिया जाएः–

(क) सीलबन्द आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति हो,

(ख) सीलबन्द आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों, मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निविदत्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे गए हों,

(ग) सीलबन्द आवरण जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हों, किन्तु प्रयुक्त न किए गए हों,

(घ) सीलबन्द आवरण जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों,

(ङ) सीलबन्द आवरण जिसमें निविदत्त मतपत्र और प्ररूप–25 में सूची रखी गई हो,

(च) सीलबन्द आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों,

(छ) सीलबन्द आवरण जिसमें/जिनमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों।

यदि ऊपर बताए गए किसी आवरण में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख हों तो उस आवरण में एक पर्ची रखी जा सकती है जिस पर विवरण या अभिलेख ''कुछ नहीं'' अंकित कर दिया जाए और कुल सात आवरण तैयार किए जाएं ताकि प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त किए जाने वाले किसी सीलबन्द आवरण के प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में कोई पूछताछ करने की आवश्यकता न पड़े।

(2) दूसरे पैकेट में निम्नलिखित आवरण रखे जाएं और उस पर "असांविधिक आवरण" लिख दिया जाएः–

(क) आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली (चिह्नित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियाँ हों,
(ख) आवरण जिसमें प्ररूप–18 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हों,
(ग) सीलबन्द आवरण जिसमें प्ररूप–23 में आपत्तिकृत मतों की सूची हो,
(घ) आवरण जिसमें प्ररूप–27 में दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं (प्ररूप–26) हों,
(ङ) आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के सम्बन्ध में प्राप्त की गई घोषणाएं (प्ररूप–21) और ऐसे निर्वाचकों की सूची (प्ररूप–22)हो,
(च) आवरण, जिसमें आपत्ति किए गए मतों के सम्बन्ध में रसीद बही और नकदी (प्ररूप–24), यदि कोई हो, रखी गई हो और
(छ) आवरण, जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों।

(3) तीसरे पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं रखी जाएं :–

(क) पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश,
(ख) मतपेटी में मतपत्रों को डालने की पट्टी (पुशर) और मतपत्र को उसके प्रतिपर्ण से अलग करने की धातु की पट्टी,
(ग) अमिट स्याही की प्रत्येक शीशी की डाट के ऊपर पिघली हुयी मोम या लाख लगा कर उसे अच्छी तरह बन्द कर दिया जाए ताकि स्याही न तो निकलने पाए और न ही उड़ सके,
(घ) स्याही लगा स्टैम्प पैड,
(ङ) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर,
(च) मतदान स्थल की सुभेदक चिह्न वाली मुहर,
(छ) मतपत्रों पर चिह्न लगाने की ऐरोक्रास सील,
(ज) अमिट स्याही के सही रखने के लिए प्याला।

(4) चौथे पैकेट में अन्य सभी वस्तुएं, यदि कोई हों, रखी जानी चाहिए।

7. पहले आवरण जिस पर सांविधिक आवरण लिखा है, में सात छोटे आवरणों/पैकेटों को सम्मिलित कर सीलबन्द कर दें। शेष अन्य छोटे आवरणों/पैकेटों, जिनमें विभिन्न असांविधिक पत्रादि (सिवाय उस आवरण के जिसमें प्ररूप–23 में आपत्ति किए गए मतों की सूची हो) समय की बचत करने के लिए पहले से तैयार दूसरे, तीसरे तथा

चौथे असांविधिक आवरण में डाल दिया जाना चाहिए परन्तु उन्हें सीलबन्द करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी सीलबन्द किए गए आवरणों और ऐसे सीलबन्द आवरणों, जिसमें प्ररूप–23 में आपत्ति किए गए मतों की सूची हो, केवल सम्बन्धित बड़े आवरण में रख देना चाहिए जिसकी जाँच पर्ची पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इन तीन बड़े पैकेटों को सीलबन्द करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन्हें पिन कर दें या धागे से समुचित रूप से बाँध दें ताकि उनकी अन्तर्वस्तु की प्राप्ति केन्द्र पर जाँच की जा सके। पहले आवरण जिसमें सांविधिक आवरण लिखा है, में रखी वस्तुओं की प्राप्ति केन्द्र पर जाँच हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को उसे सीलबन्द कर देना चाहिए।

अध्याय–19

पीठासीन अधिकारी की डायरी

डायरी तैयार करना

पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल में मतदान कराने से सम्बन्धित कार्यवाहियों को एक डायरी (प्ररूप–33) में लिखना चाहिए जो इस प्रयोजन के लिए रखी जाएगी। सुसंगत घटनाओं को जिस रूप में और जब कभी वे घटित हों, उन्हें अभिलिखित करते रहना चाहिए और डायरी को पूरा करना और उसकी समस्त प्रविष्टियों को भरना मतदान के पूरा होने तक के लिए स्थगित नहीं रखना चाहिए। उनमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। डायरी में प्रत्येक दो घण्टे में हुए मतदान में डाले गए मतों की संख्या दर्ज करते रहना चाहिए और उसे रिटर्निंग अधिकारी/आयोग के प्रेक्षक/आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी को भी इसका ब्यौरा देना चाहिए।

अध्याय–20

निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेख और सामग्री को संग्रह केन्द्रों पर सौंपना और उनकी जाँच करना

1. पीठासीन अधिकारी संग्रह केन्द्र के प्रभारी अधिकारी या कर्मचारी को निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेख और सामग्री की निम्नलिखित 15 वस्तुएं सौप देंगे और रसीद प्राप्त करेंगेः–

   (1) सीलबन्द मतपेटी (मतपेटियाँ)।

   (2) अप्रयुक्त मतपेटी (मतपेटियाँ)।

   (3) यथास्थिति अप्रयुक्त कैनवास का थैला/थैले या कपड़ा।

   (4) आवरण जिसमें मतपत्र लेखा रखा हो।

   (5) आवरण जिसमें पत्र मुद्राओं का विवरण रखा हो।

   (6) आवरण जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं रखी हों।

   (7) आवरण जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी रखी हो।

   (8) पहला पैकेट जिस पर "सांविधिक आवरण" लिखा हो और जिसमें सात आवरण रखे हों।

   (9) दूसरा पैकेट जिस पर ''असांविधिक लिफाफे'' लिखा हो और जिसमें आठ आवरण रखे हों।

   (10) तीसरा पैकेट जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री आदि की सात वस्तुएं रखी हों।

   (11) चौथा पैकेट जिसमें अन्य सभी वस्तुएं यदि कोई हों, रखी हों।

   (12) मतदान प्रकोष्ठ के लिए सामग्री।

   (13) लालटेन/पैट्रोमैक्स, यदि दी गई हों।

   (14) रद्दी की टोकरी।

   (15) निर्वाचन सामग्री के रखने हेतु पालिथीन बैग/बोरा।

2. संग्रह केन्द्र पर प्राप्त करने वाले कर्मचारी/कर्मचारियों द्वारा पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में उपर्युक्त सभी वस्तुओं की (उपर्युक्त पन्द्रह वस्तुओं के मद में निर्दिष्ट चौथे पैकेट में रखी हुयी वस्तुओं को छोड़कर) जाँच की जाएगी और उसके बाद पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

प्ररूप–13

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

जनपद .....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....
के वार्ड संख्या .....से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर का निर्वाचन।

क्रम संख्या	विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	राजनैतिक दल से सम्बद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5

स्थान .....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
मुहर.....

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट– 1. यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाए।

2. उपर्युक्त सूची में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के वर्णानुक्रम के नाम लिखे जाएंगे। तत्पश्चात् पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे। तत्पश्चात् तात्कालिक या अनन्तिम रूप से पंजीकृत सामायिक दल और अन्त में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे।

प्ररूप–14

मतदान स्थल के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत. .....मतदान केन्द्र/स्थल का क्रमाँक ..... व नाम.....वार्ड संख्या .....

इस मतदान केन्द्र/स्थल में केवल वे ही मतदाता मत देने के हकदार हैं जिनके नाम वार्ड क्रमाँक .....की मतदाता सूची के भाग क्रमाँक..... .....में सम्मिलित हैं।

स्थान.....

दिनाँक.....

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी
मतदान केन्द्र/स्थल क्रमाँक.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–17
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मतदान अभिकर्ता की प्रमाणित फोटो

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
*अध्यक्ष/सदस्य,
*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... .....

मैं.....*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... .....के *अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन के लिए वार्ड संख्या.....से *उम्मीदवार/उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ।

मैं.....संख्या वाले मतदान केन्द्र/स्थल मतदान के लिए नियत स्थान.....में हाजिर रहने के लिए एतद्द्वारा श्री/सुश्री.....निवासी..... .....जिसका फोटो चिपका है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

दिनाँक.....
स्थान .....

*उम्मीदवार/उम्मीदवार के
निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

दिनाँक.....

स्थान .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपरिवर्णित निर्वाचन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 *जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गयी है, द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा।

दिनाँक.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

स्थान .....
दिनाँक.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर या
मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
(मुहर)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–18
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना

जनपद ..... की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ..... से *महापौर/अध्यक्ष या *के वार्ड संख्या .....से *पार्षद/सदस्य का निर्वाचन।

प्रेषिती–

पीठासीन अधिकारी.....

मैं,.....जो उपरिवर्णित निर्वाचन में *उम्मीदवार/उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ .....अपने *मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं.....की नियुक्ति एतद्द्वारा रद्द *करता/करती हूँ।

स्थान.....

दिनाँक.....

*उम्मीदवार/उम्मीदवार के
निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–19

मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

जनपद.....की *नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... .....से अध्यक्ष या* के वार्ड संख्या .....से सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र/स्थल क्रम संख्या और नाम.....मतदान का दिनाँक .....

मैं यह घोषणा करता हूँ कि:–

1. मैंने उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह दिखा दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मतपेटी खाली है।
2. मैंने मतपेटी को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से जो हस्ताक्षर करना चाहते है उनके हस्ताक्षर भी उस पर करवा लिए है।
   (जहाँ पत्र मुद्रा प्रयुक्त नहीं की जाती है, वहाँ पर यह लागू नहीं होगा)
3. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह दिखा दिया है कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में केवल वही चिह्न हैं जिसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि डाक मत पत्र और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं।
4. मैंने मतदान अभिकर्ताओं को इस मतदान केन्द्र/स्थल पर प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्रों के प्रथम तथा अन्तिम क्रम संख्यांक नोट करने के लिए दे दिए हैं।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
2. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
3. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
4. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
5. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
6. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
7. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
8. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
9. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया:–

1. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
2. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
3. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
4. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....

स्थान.....
दिनाँक.....

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–20

अनुवर्ती मतपेटी/मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

जनपद.....की *नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... से *अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या ..... से सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र/स्थल क्रम संख्या और नाम.....मतदान की दिनाँक.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूँ किः–

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग मे लाई जाने वाली द्वितीय/तृतीय मतपेटी खाली है, और
2. मतपेटी सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसपर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित करा लिए गए हैं जो उपस्थित है और ऐसा करने की इच्छा रखते हैं।

(जहाँ पत्र मुद्रा प्रयुक्त न की जाए वहाँ प्रयोज्य नहीं है)

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
2. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
3. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
4. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
5. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
6 (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
7. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
8. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
9. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार कियाः–

1. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
2. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
3. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....
4. (.....उम्मीदवार का) मतदान अभिकर्ता.....

स्थान.....

दिनाँक.....

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–21

आयु के सम्बन्ध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप

मैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञा *करता/करती हूँ कि विद्यमान वर्ष की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिस पर इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष की थी।

मुझे निर्वाचक नामावली में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में सम्बन्धित अधिनियमों के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

पिता/माता/पति का नाम.....

जनपद.....

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

.....

वार्ड संख्या.....

निर्वाचक नामावली का भाग.....

निर्वाचक की क्रम संख्या.....

दिनाँक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या.....

तारीख.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–22

निर्वाचक की आयु के सम्बन्ध में प्राप्त घोषणाओं की सूची

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत. .....से महापौर/अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या .....से *पार्षद/सदस्य के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या.....नाम.....

भाग–1

मतदाताओं की सूची, जिसने उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं प्राप्त की गई है।

क्र0 सं0	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट आयु	पीठासीन अधिकारी के अनुसार आयु
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
इत्यादि				

भाग–2

मतदाताओं की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं देने से इन्कार किया

क्र0 सं0	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट आयु	पीठासीन अधिकारी के अनुसार आयु
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
इत्यादि				

स्थान.....

दिनाँक.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–23

आपत्ति किए गए मतों की सूची

जनपद .....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....के

*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य का निर्वाचन वार्ड संख्या.....मतदान केन्द्र/स्थल संख्या और नाम.....

क्र0 सं0	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में प्रविष्टि ———— भाग क्रमाँक	आपत्तिकृत व्यक्ति के ब्यौरे			यदि कोई पहचानने वाला है	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	धनराशि वापस करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर
			मतदाता का क्रमाँक	नाम व पता	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

दिनाँक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–24

आपत्ति किए गए मतदाताओं के सम्बन्ध में जमा राशि की रसीद

*श्री / श्रीमती / कु0.....

*उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता से रूपये.....की राशि अभ्याक्षेप के निक्षेप के रूप में प्राप्त की।

स्थान.....

दिनाँक.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र / स्थल क्रमाँक

वार्ड संख्या.....

*नगर निगम / नगर पालिका परिषद /

नगर पंचायत.....

जनपद.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–25

निविदत्त मतपत्रों की सूची

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....से *महापौर/अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या..... से *पार्षद/सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र/स्थल क्रमाँक.....

क्रमाँक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियाँ		मतदाता का पता
		मतदाता सूची का भाग क्रमाँक	मतदाता का क्रमाँक	
1	2	3	4	5

निविदत्त मतपत्र का क्रमाँक	उस व्यक्ति को, जिसने पहले मत डाल दिया है, जारी किए गए मतपत्र का क्रमाँक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
6	7	8

दिनाँक.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–26

दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

जनपद.....की *नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....
.....से अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या.....से सदस्य के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या.....नाम.....

मैं,..... *पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
आयु.....वर्ष निवासी.....एतद्द्वारा यह घोषणा *करता/करती हूँ कि:–

(क) मैंने आज दिनाँक.....को किसी भी मतदान केन्द्र/स्थल पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं, *श्री/श्रीमती/कु0..... (मतदाता का नाम) मतदाता सूची के भाग संख्या.....क्रम संख्या.....की ओर से अपने अभिलिखित किए गए मत को गुप्त *रखूँगा/रखूँगी।

साथी के हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–27

दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....से *महापौर/अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या..... से *पार्षद/सदस्य के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या.....नाम.....

क्रम सं0	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का ब्यौरा		निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पूरा पता	साथी के हस्ताक्षर
	भाग क्रमाँक	क्रमाँक				
1	2	3	4	5	6	7

दिनाँक.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–28

थाना प्रभारी को शिकायती पत्र

सेवा में,

थाना प्रभारी,

.....

.....

विषयः– *नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के वार्ड सख्या.....के मतदान केन्द्र/स्थल पर (संख्या).....और नाम..... छद्मवेशी/पररूप धारण करने की शिकायत।

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि *श्री/सुश्री ..... *पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....ने उस व्यक्ति के पर रूप धारण के बारे आपत्ति की है जिसे *श्री/सुश्री.....के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने *श्री/सुश्री .....होने का दावा किया है जिसका नाम उक्त वार्ड की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या.....के क्रम संख्या.....पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर *रहा है/रही है कि वही उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छद्मवेशी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–च के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करें।

स्थान.....

दिनाँक.....

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी।

1–प्रतिलिपि** वार्ड के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर .....को प्रेषित।

2–प्रतिलिपि** नगर निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर .....को प्रेषित।

रसीद

उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा (दिनाँक)..... .....को .....(समय) मेरे सुपुर्द किए गए।

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**यहाँ सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का पदनाम लिखें।

प्ररूप –29

मतदान स्थगन की सूचना

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.. ..... के वार्ड क्रमाँक.....के मतदान केन्द्र/स्थल. .....पर आज दिनाँक.....को आयोजित मतदान..... .....के कारण स्थगित किया जाता है। पुनर्मतदान का दिनाँक और समय की जानकारी बाद में आयोग द्वारा संसूचित की जाएगी।

स्थान.....
दिनाँक.....

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी.....
मतदान केन्द्र/स्थल क्रमाँक.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–30
मतपत्र लेखा
भाग––1

*नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या.....भाग संख्या.....से *अध्यक्ष / सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र / स्थल की संख्या व नाम.....क्रम संख्या / संख्या.....से .....तक कुल संख्या.....

1 प्राप्त मतपत्र.....

2 उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र.....से.....तक कुल संख्या.....
(अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं।)

(क) जिनपर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है।
कुल संख्या.....

(ख) जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
कुल संख्या.....
जोड़ (क+ख).....
मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र.....(1-2=3)

3 **मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र

(क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र.....

(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र.....
जोड़ (क+ख+ग).....

4 मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3–4=5).....
दिनाँक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।
**क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है।

मतपत्र लेखा
भाग–2

1– मतपेटिकाओं में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या.....

2– यदि कोई अन्तर हो तो उल्लेख करें:–

स्थान.....
दिनाँक .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान.....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।
नोट–यह मतपत्र लेखा नगरीय निकाय के अध्यक्ष/महापौर तथा पार्षद/सदस्य के लिए अलग–अलग बनाया जाएगा।

प्ररूप–31
पत्र मुद्रा लेखा

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... *महापौर/अध्यक्ष या * के वार्ड संख्या.....से *पार्षद/सदस्य का निर्वाचन

मतदान केन्द्र/स्थल का संख्या व नाम.....

1–उपलब्ध कराए गए पत्र मुद्रा के क्रमाँक.....से.....तक

2–कुल प्राप्त कराई पत्र मुद्राओं की संख्या.....

3–प्रयुक्त किए गए पत्र मुद्राओं की संख्या.....

4–वापस की गई अप्रयुक्त पत्र मुद्राओं.....की संख्या (क्रमाँक 2–क्रमाँक 3)

5–खराब हुई पत्र मुद्राओं का क्रमाँक, यदि कोई हो.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या

दिनाँक.....

स्थान.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–32

मतदान के अन्त में घोषणा/मतपत्र लेखा की पावती

मैंने निम्नांकित मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के बन्द होने पर, मतदान स्थल पर उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए है, मतपत्र लेखा की एक एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति दे दी है।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... (नाम) .....

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र/स्थल क्रमाँक.....

वार्ड संख्या.....

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद/

नगर पंचायत

मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त कीः–

(1) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

(2) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

(3) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

(4) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

(5) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

2–निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान के बन्द होने पर उपस्थित थे, मतपत्र लेखा की अभिप्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त करने और उसके लिए रसीद देने से इन्कार कर दिया और इसलिए उन्हें मतपत्र लेखे की अभिप्रमाणित प्रति नहीं दी गई।

(1) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

(2) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

(3) उम्मीदवार श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

हस्ताक्षर

स्थान..... पीठासीन अधिकारी.....

दिनाँक..... मतदान केन्द्र/स्थल क्रमाँक.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–33

पीठासीन अधिकारी की डायरी

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... से अध्यक्ष या के सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में

1. निर्वाचन कक्ष का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) व संख्या.....
2. मतदान का दिनाँक
3. मतदान केन्द्र/स्थल का संख्यांक किस भवन में बनाया गया है:–
   (1) किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी भवन में
   (2) निजी भवन में
   (3) अस्थाई संरचना में
4. स्थानीय रूप में भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो।
5. यदि सम्यक् रूप से नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई हो तो उसका उल्लेख करें और ऐसी नियुक्ति का कारण बताएं
6. उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या
7. उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या और क्रंमाक
8. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उसमें देर से आने वालों की संख्या
9. ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने उस मतदान केन्द्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए
10. मतदान के दौरान मतदान स्थल पर उम्मीदवार की और से उपस्थित अभिकर्ताओं का विवरण:–

क्रमाँक	उम्मीदवार का नाम	उपस्थित उम्मीदवार का नाम या उसके अभिकर्ताओं का नाम	
1. 2.		(1)	(2)

11. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, मतदान स्थल पर वस्तुतः जारी किए गए मतपत्रों की संख्या

    प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर.....

    मतपत्रों के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर.....

इसमें मतदान स्थल पर जारी किए गए सभी मतपत्र सम्मिलित होंगे

12. मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण:–

	मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या	मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या	मतदान का प्रतिशत
पुरूष			
महिला			
योग			

13. आपत्ति किए गए मतपत्र — कितने स्वीकृत किए गए.....
कितने अस्वीकृत किए गए.....
समपहृत की गई रकम रू0.....

14. जिन निर्वाचकों ने साथी की सहायता से मत दिया उनकी संख्या

15. निविदत्त मतों की संख्या

16. मतदाताओं की संख्या

(1) जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गईं

(2) जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इंकार किया

17. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था और यदि हॉ, तो किन कारणों से

18. प्रत्येक 2 घंटों में हुए मतदान/डाले गए मतों की संख्या.....

(1) पहले 2 घंटे में.....

(2) दूसरे 2 घंटे में.....

(3) तीसरे 2 घंटे में.....

(4) चौथे 2 घंटे में.....

(5) पांचवे 2 घंटे में.....

19. मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या

20. निर्वाचन सम्बन्धी अपराध और उनके विवरण निम्नलिखित अपराधों की संख्या.....

(1) मतदान स्थल से 100 मीटर की परिधि में मत संयाचना करना

(2) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना

(3) मतदान स्थल में कपटपूर्वक किसी सूचना, सूची अथवा अन्य दस्तावेज को विरूपित करना, नष्ट करना अथवा वहाँ से हटाना

(4) मतदाताओं को रिश्वत देना

(5) मतदाताओं (और अन्य व्यक्तियों) को डराना धमकाना

21. क्या मतदान में निम्नलिखित के कारण कोई विघ्न पड़ा या कोई बाधा उत्पन्न हुईः—

(1) बलवा

(2) खुली हिंसा

(3) प्राकृतिक विपत्ति

(4) अन्य कोई कारण

कृपया इनका विवरण दीजिए

22. क्या मतदान

(1) किसी ऐसे मतपेटी के जो मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई हो और जो पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरूद्धतया निकाल ली गई होः—

(क) घटनावश अथवा जानबूझकर खो दिए जाने या विनष्ट हो जाने के कारण

(ख) उसे नुकसान पहुँचाएं जाने या उसमें गड़बड़ी किए जाने के कारण

(2) किसी व्यक्ति द्वारा मतपत्र के विधि विरूद्धतया चिह्नित करके मतपेटी में मत डाल दिए जाने के कारण दूषित हुआ है।

23. उम्मीदवार द्वारा की गई गम्भीर शिकायत, यदि कोई हो

24. विधि और व्यवस्था भंग होने के मामलों की संख्या

25. यदि मतदान स्थल पर कोई गलतियां और अनियमितताएं हुई हों तो उनकी रिपोर्ट

26. मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब चिह्नित मतपत्र के लिए नयी मतपेटी रखी जाए और मतदान के अन्त में आवश्यक घोषणाएं कर दी जाए।

स्थान..... हस्ताक्षर

दिनाँक..... पीठासीन अधिकारी

यह डायरी मतपेटियों और अन्य मुहरबन्द प्रपत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए।

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

मतदाताओं का प्रवेश और निकास दर्शाने वाली पट्टी (8" X 5")

प्रवेश	निकास

पीठासीन/मतदान अधिकारियों लिए बैज

नगरीय निकाय का नाम .....जनपद .....

वार्ड संख्या .....

मतदान केन्द्र एवं मतदान स्थल संख्या व नाम .....

पीठासीन/मतदान अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी

मतपेटी लेबिल

अध्यक्ष/सदस्य/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

नगरीय निकाय का नाम .....जनपद.....

मतदान स्थल का क्रमाँक व नाम .....

मतपेटी का क्रमाँक .....

मतदान का दिनाँक .....

पते की पर्ची

प्रेषक, सेवा मे,

पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग आफिसर

पोलिंग स्टेशन की संख्या तथा नाम .....

नगरीय निकाय का नाम .....

पता .....

.....

मतपेटी संख्या .....

मतदान की तिथि .....

मतपेटी की संख्या प्रयुक्त मतपेटी संख्या तथा उक्त मतदान स्थल पर प्रयुक्त कुल मतपेटी की संख्या दोनों अंकित की जानी चाहिए अर्थात् यदि किसी मतदान स्थल पर तीन मतपेटियाँ प्रयुक्त की गई हैं तो मतपेटी पर क्रमाँक संख्या निम्न रूप में होगीः–

प्रथम मतपेटी के लिए	**1/3**
द्वितीय मतपेटी के लिए	**2/3**
तृतीय मतपेटी के लिए	**3/3**

मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश पत्र

नगरीय निकाय का नाम .....जनपद .....

वार्ड संख्या .....

पद नाम .....

मतदान केन्द्र एवं मतदान स्थल संख्या व नाम.....

उम्मीदवार का नाम .....

मतदान अभिकर्ता का नाम .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

मतदान सामग्री की सूची

क्र0सं0	वस्तु का नाम	मात्रा प्रति किट
1	2	3
(क) आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदान सामग्री		
1.	अमिट स्याही 10 सी0सी0	02
2.	पीठासीन ऑफिसर के लिए धातु की मुद्रा (मेटल सील)	01
3.	मतपत्रों पर चिह्न लगाने के लिए एरोक्रास सील	04
4.	मतपेटी में मतपत्रों को दबाने के लिए किसी धातु की पट्टी या लकड़ी की पट्टी (पुशर)	01
5.	पत्र मुद्रा (पेपर सील) मतपेटी प्रयोग किए जाने पर	2 नग प्रति मतपेटी
6.	मतपेटी	02
7.	मतपत्र	आवश्यकतानुसार
8.	मतपेटियों को लपेटने के लिए कैनवास/जूट/कपड़े का बैग	03

(ख) जनपद पर उपलब्ध एवं स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध की जाने वाली सामग्री

9.	निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ	04
10.	प्रतिपर्ण से मतपत्र को अलग करने के लिए धातु की पट्टी	01
11.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची	03 प्रतियों में
12.	लालटेन (स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध कर लिया जाए)	01
13.	सुभेदक चिह्न वाली रबर सील	1

(ग) जिले स्तर से क्रय की जाने वाली निर्वाचन सामग्री (किट)

14.	मतपेटियों को चारों ओर से बाँध कर सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रिबन अथवा टेप	20
15.	कापिंग पेंसिल	2
16.	साधारण पेंसिल	1
17.	स्याही युक्त स्टाम्प पैड (बैगनी स्याही का)	2
18.	बॉल पेन	3 नीले रंग के तथा 1 लाल रंग का
19.	ब्लाटिंग पेपर	1 शीट डी0एफ0 साइज
20.	फुल स्केप साइज का कागज	4 शीट
21.	आलपिन	1 पत्ता
22.	सुतली (धागा)	2 गोले (50ग्राम)
23.	मोहर लगाने की लाख (सीलिंग वैक्स)	10 बत्तियां
24.	मतदाताओं का प्रवेश और निकास दर्शाने वाली पट्टी (8''×5'')	2
25.	गोंद की शीशी	1
26.	दियासलाई	1
27.	ब्लेड	1
28.	पीठासीन/मतदान अधिकारियों के लिए बैज	6
29.	सूजा	1
30.	निर्वाचक की उँगली से तेल या अन्य कोई पदार्थ हटाने हेतु कपड़े का कोई टुकड़ा	1
31.	रद्दी की टोकरी	1

32.	पत्र मुद्रा मजबूत करने के लिए कार्डबोर्ड (2''×3½'')	6
33.	मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश पत्र	6
34.	पैकिंग पेपर (18''×22'')	2 शीट
35.	पता लिखे हुए टैग	6
36.	मतपेटियों के लिए लेबिल	6
37.	मोमबत्ती 200एम.एम.	6
38.	लचकदार तार	1 मीटर
39.	मतदान सामग्री रखने हेतु पालीथीन का बैग/बोरा	1
40.	कार्बन पेपर	4
41.	अमिट स्याही रखने हेतु प्याला या कोई डिब्बा	1
42.	मतदान क्षेत्र का विवरण बताने वाली सूचना	2
43.	मतदान अभिकर्ता नियुक्ति पत्र	15
44.	मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	2 प्रतियाँ
45.	अनुवर्ती मतपेटी/मतपेटिकाओं के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	10 प्रतियाँ
46.	आयु के सम्बन्ध में निर्वाचक द्वारा घोषणा	10 प्रतियाँ
47.	निर्वाचकों की आयु के सम्बन्ध में प्राप्त घोषणाओं की सूची	01 प्रति
48.	आपत्तिकृत मतों की सूची	02 प्रतियाँ
49.	आपत्ति किए गए मतों के लिए जमानत धनराशि की रसीद	1 रसीद बुक दोहरी प्रति में
50.	निविदत्त मतपत्रों की सूची	04 प्रतियाँ
51.	दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा	10 प्रतियाँ
52.	दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाताओं की सूची	02 प्रतियाँ
53.	थाना प्रभारी को शिकायती पत्र	04 प्रतियाँ
54.	मतदान स्थगन की सूचना	02 प्रतियाँ
55.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने सम्बन्धी प्ररूप	05 प्रतियाँ
56.	मतपत्र लेखा का प्ररूप	16 प्रतियाँ
57.	पत्र मुद्रा लेखा	02 प्रतियाँ
58.	मतदान के अन्त में घोषणा/मतपत्र लेखा की पावती	04 प्रतियाँ
59.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	2 फुलस्केप कागज
60.	उपयोग में न लाये गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफे (11''×16'')	2
61.	उपयोग में लाये गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखने के लिए लिफाफे (11''×16'')	3
62.	रद्द एवं वापस किए गए मतपत्रों को रखने के लिए लिफाफे (4''×10'')	2
63.	अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने के लिए लिफाफे (11''×16'')	2
64.	मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति प्रपत्र रखने के लिए लिफाफे (9''×4'')	2
65.	आपत्तिकृत मतों की सूची रखने के लिए लिफाफे (9''×11'')	2
66.	निविदत्त मतपत्र तथा सूची रखने के लिए लिफाफे (9''×4'')	2
67.	दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाताओं के साथियों की घोषणाएं रखने के लिए लिफाफे (9''×16'')	1
68.	मतपत्रों का लेखा रखने के लिए लिफाफे (9''×4'')	2
69.	पत्र मुद्रा का लेखा रखने के लिए लिफाफे (9''×4'')	2

70.	निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रतियाँ रखने के लिए लिफाफे (9''×11'')	2
71.	निर्वाचक नामावलियों की दूसरी प्रति रखने के लिए लिफाफे (9''×11'')	2
72.	पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने हेतु लिफाफे (9''×16'')	1
73.	रसीद बुक और जब्त समपहृत की गई राशि रखने के लिए लिफाफे (11''×16'')	1
74.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए मतपत्रों को रखने के लिए लिफाफे (4''×10'')	2
75.	हस्ताक्षरित किन्तु उपयोग में न लाये गए मतपत्रों को रखने के लिए लिफाफे (4''×10'')	2
76.	पीठासीन अधिकारी के संक्षिप्त अभिलेख रखने के लिए लिफाफा (9''×16'')	1
77.	अन्य कोई कागज जिसको रिटर्निंग अधिकारी ने मोहरबन्द लिफाफे में रखने का निर्देश दिया हो, को रखने के लिए लिफाफा (4''×10'')	1
78.	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय तथा मतदान समाप्त होने के समय की जाने वाली घोषणाओं के रखने हेतु लिफाफा (4''×10'')	1
साईन बोर्ड		
79.	पीठासीन अधिकारी	
80.	मतदान अधिकारी	
81.	प्रवेश	
82.	निर्गमन	
83.	मतदान अभिकर्ता	
84.	क्षेत्र इत्यादि बताने के लिए विविध सूचना	

टिप्पणी–ऐसी आवश्यक वस्तुएँ जो प्रारम्भ में प्रदान न की गई हों या जिनकी बाद में अभाव स्थिति में आवश्यकता पड़े, पीठासीन ऑफिसर द्वारा स्थानीय रूप से खरीदी जा सकती हैं। उनका खर्च सरकार उठाएगी।

2–आवश्यकता को देखते हुए उक्त सामग्री में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) घट/बढ़ कर सकते हैं।

नोट–उपर्युक्त में से निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अतः इन्हें प्राप्ति केन्द्र पर कर्मचारी/कर्मचारियों को वापस कर दिया जाएगा।

1. सेल्फ इंकिग पैड
2. पीठासीन अधिकारी के लिए मेटल सील
3. मतपत्रों को मार्किंग करने हेतु ऐरोक्रास मार्क रबर स्टैम्प
4. पुशर या लोहे की पट्टी
5. मतपत्रों को प्रतिपर्ण से अलग करने हेतु धात की पट्टी
6. पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका

मतपेटियों के प्रयोग के लिए अनुदेश

1. गोदरेज टाइप की मतपेटी

रेखाचित्र–4 मत डालने की स्थिति में तैयार मतपेटी को दिखाता है। मतपेटी के विभिन्न भागों के नाम जानने के लिए इस चित्र का अध्ययन कर लीजिए। यह ध्यान रखें कि इस स्थिति में मतपत्र मतपेटी में डालने का छिद्र (Slit) खुला है।

2. मतपेटी को खोलना

(1) खिड़की के ढक्कन को बटन से सम्बद्ध करने वाले तार को निकालिए।

(2) खिड़की के ढक्कन को बायीं से दायीं ओर घुमाइये जिससे खिड़की रेखाचित्र–5 के अनुसार पूरी तरह दिखाई दे।

(3) अपनी हथेली को ऊपर की ओर खुली रख कर खिड़की में अपनी अंगुली डालिए तथा उसे ढक्कन के मध्य तक अन्दर की ओर इस प्रकार बढ़ाइए जिससे उसका ब्रैकेट से सम्बन्ध हो जाए (इस ब्रैकेट को रेखाचित्र–6 में देखा जा सकता है)।

(4) ब्रैकेट को खिड़की की तरफ खींचिए और बटन को अच्छी तरह से बायीं ओर इस प्रकार तब तक घुमाइये जब तक कि लगभग एक चौथाई धूमने के बाद वह रूक न जाए, जैसा कि रेखाचित्र–7 में है। मतपेटी अब खुल गई है। ढक्कन को खोलिए ताकि ढक्कन का अन्दर का हिस्सा दिखाई पड़े (देखिये रेखाचित्र–7)।

उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को मतपेटी की यांत्रिाक स्थिति में बिना बाधा डाले निरीक्षण करने दीजिए कि मतपेटी खाली है।

3. मतदान के लिए मतपेटी तैयार करना

रेखाचित्र–8 में दिखाया गया है जिसके अनुसार (यदि सील का इस्तेमाल होना है) सील को फ्रेम में डाला जाएगा। इसको उचित ढंग से करने हेतु आपको निम्न प्रकार से कार्यवाही करनी है :–

(1) निर्धारित पत्र मुद्रा लेकर उसकी सफेद सतह के चौड़े भाग के किनारे पर उन उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के जो हस्ताक्षर करने की इच्छा रखते हों, श्हस्ताक्षरश करा लें। आप स्वयं भी हस्ताक्षर करें और दिनाँक अंकित कर दें।

(2) निर्धारित प्ररूप पर पत्र मुद्रा की क्रम संख्या का अभिलेख रखिये और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को उनके नम्बर नोट करने दीजिये।

(3) पत्र मुद्रा के किनारों को फ्रेम के बीच के हिस्से के दोनों ओर भीतरी दरार से इस प्रकार डालिए जिससे पत्र मुद्रा का हस्ताक्षरों सहित सफेद हिस्सा ढक्कन के नीचे से दिखायी दे।

(4) पत्र मुद्रा को किसी संभावित क्षति से बचाने के लिए उसके सबसे तंग हिस्से को छोटा रखिये जिससे किए गए हस्ताक्षरों वाला चौड़ा हिस्सा लम्बा हो जाए। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए फ्रेम के मध्य भाग में आने वाले पत्र मुद्रा के अन्दर के भाग में हल्की सी गोंद लगाकर 2.1/10 इंच × 1.7/16 इंच साइज का कार्डबोर्ड का टुकड़ा चिपकाइये। रेखाचित्र–8 कार्डबोर्ड

(padding) मोटी होनी चाहिए जिससे पत्र मुद्रा अपने स्थान पर मजबूती से रहे। धीरे से खींचकर इसकी जाँच कर लें। पत्र मुद्रा को किसी भी दशा में हिलना नहीं चाहिए।

(5) कार्डबोर्ड के ऊपरी दोनों किनारों को पत्र मुद्रा से और मतपेटी के ढक्कन के भीतरी भाग से सीलिंग द्वारा सुरक्षित कर लें।

(6) यदि कोई उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता देर से पहुंचता है और पत्र मुद्रा के फ्रेम में डालने से पूर्व हस्ताक्षर नहीं करता है तो उस स्थति में पत्र मुद्रा के लम्बे भाग पर हस्ताक्षर या उसकी मुहर लगाने की अनुमति यदि वे चाहें तो दे दी जाए।

(7) तब पेटी के ढक्कन को अच्छी तरह से बन्द करिये। ध्यान रखें कि पत्र मुद्रा के ढीले किनारे मतपेटिका के अन्दर ही रहें। बटन को धीरे से बायीं से दायी ओर घुमाइये जब तक क्लिक की आवाज से बन्द न हो। छिद्र (Slit) अब पूरी तरह से मत डालने की सही स्थिति में पूरी तहर से खुला होना चाहिए जैसा कि रेखाचित्र–5 में है। बटन को आगे की ओर मत घुमाइये अन्यथा छिद्र बन्द हो जाएगा और उसके पश्चात् कोई भी मतपत्र उसमें नहीं डाला जा सकेगा। यदि लापरवाही की बजह से ऐसा हो जाता है तो पत्रमुद्रा नष्ट करके पेटी को पुनः खोलना पड़ेगा और एक बार पुनः नयी पत्रमुद्रा के साथ मतपेटी मत डालने हेतु तैयार करनी पड़ेगी।

खिड़की के ढक्कन को दायीं से बायीं ओर घुमाइये जिससे कि खिड़की पूरी तरह से ढक जाए। खिड़की के ढक्कन के छेद में से तार का एक टुकड़ा डालिए जो बटन के छेद से हो कर जाए और तार के दोनों सिरों को कुछ बार मजबूती से मरोड़िये जिससे कि खिड़की का ढक्कन बटन से अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाए और उसके पश्चात् उसे घुमाया न जा सके। तब धागे के टुकड़े को खिड़की के ढक्कन और बटन के छेदों में से डालिए और उसे अच्छी तरह से कई गाँठ लगाकर मजबूती से बाँध दीजिये। धागे के दोनों सिरों को पकड़िये और सिरों को मोटे, मजबूत कागज पर रख कर जहाँ तक सम्भव हो गाँठों के समीप अपनी मुद्रा लगाइये।

4. मतदान के पश्चात् पेटी के छिद्र को बन्द करना तथा सील करना

(1) अन्तिम मतदाता द्वारा मत डाल दिए जाने के पश्चात् तार को अलग करिये और धागे को काट दीजिये जिससे खिड़की का ढक्कन स्वतंत्र हो जाए।

(2) खिड़की के ढक्कन को बायीं से दायीं ओर घुमाइये और बटन को मजबूती से बायें से दायें ओर घुमाइये जब तक कि वह रूक न जाए और छिद्र को पूरी तरह से ढक न ले (रेखाचित्र–9)।

(3) खिड़की के ढक्कन को दायीं से बायीं ओर घुमाइये जिससे खिड़की पूरी तरह से बन्द हो जाए। बटन और खिड़की के ढक्कन को साथ साथ पकड़िये और खिड़की के ढक्कन के छेद और बटन के छेद में तार का टुकड़ा डालिए और सुरक्षा के लिए तार के दोनों सिरों को मजबूती से कुछ बार मरोड़िये (पेटी अब रेखाचित्र–10 के अनुसार तैयार हो जाएगी)।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लिखित निर्वाचन अपराध सम्बन्धी धाराओं का उद्धरण

धारा–125 निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना –

जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनायें भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर सम्प्रवर्तित करेगा या सम्प्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा–126 निर्वाचन से पूर्ववर्ती दिन और निर्वाचन के दिन सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध

(1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा न बुलायगा न आयोजित करेगा न उसमें उपस्थित होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–127 निर्वाचन सभाओं में उपद्रव

(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारावास के सम्व्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह सभा बुलाई गई है विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा पर लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।

(3) यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की बावत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस ऑफिसर उसकी बावत युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस ऑफिसर उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा–127–क पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन

(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करायगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–

(क) उस दशा में, के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीय घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा

(ख) उस दशा में, के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करायगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित–

(1) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर की तथा

(2) किसी दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बावत जो हाथों से नकल करके ऐसी प्रतियाँ बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, तथा

(ख) निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं को चर्चा सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा प्लेकार्ड या पोस्टर इस के अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा–128 मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना

(1) ऐसा हर ऑफिसर लिपिक अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उसकी गणना करने से संशक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित

कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा–129 निर्वाचनों में ऑफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे

(1) जो (कोई जिला निर्वाचन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान ऑफिसर या ऐसा ऑफिसर या लिपिक है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन ऑफिसर ने निर्वाचन में संशक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का और

(ख) न किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का और

(ग) न निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति से असर डालने का प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जो छः मास का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–130 मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध

(1) कोई भी व्यक्ति उस तिथि को या उन तिथियों को जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदानकेन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:–

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उसके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना,

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना

(ड.) निर्वाचन के सम्बन्ध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से जो ढाई सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–131 मतदान केन्द्रों में या उसके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को जिनमें किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्रा मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लायगा और न चलायगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ ऑफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझ कर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस ऑफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा उपधारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाये गए किसी साधित्रा को अभिगृहीत कर सकेगा।

धारा–132 मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति

(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन ऑफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन ऑफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस ऑफिसर या ऐसे पीठासीन ऑफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन ऑफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–132 (क) मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इनकार करता है तो उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

धारा–133 निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लाने या उपाप्त करने के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संवर्ग में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा तो वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

धारा–134 निर्वाचनों से संशक्त पदीय कर्तव्य के भंग

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (1–क) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथा पूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बावत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति जिन्हें यह धारा लागू है– ये हैं जिला निर्वाचन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर, मतदान और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिता वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संशक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा पदीय कर्त्तव्य पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

धारा–134क निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति

यदि सरकार की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा–135 मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा

(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपट पूर्वक बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझ कर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा ऑफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस ऑफिसर द्वारा उसकी तालाशी करवा सकेगा, परन्तु जब कभी किसी स्त्राी की तालाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्राी द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तालाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन ऑफिसर द्वारा पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस ऑफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा ऑफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–135क बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध

जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहाँ वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की न होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रिया कलाप है, अर्थात्ः–

(क) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अधिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्र या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना,

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना,

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अधिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है,

(ड.) सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रिया कलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया कलापों में सहायता करना या मौनानुमति देना।

धारा–136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियाँ

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नाम निर्देशन पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(ख) रिटर्निंग ऑफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा या नष्ट करेगा या हटायगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया गया है कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा (या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा) या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा, अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा, अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई करने का प्रयत्न करेगा या जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यो का दुष्प्रेरण करेगा तो वह व्यक्ति भी निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–

(क) यदि वह रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन ऑफिसर या निर्वाचन से संशक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य ऑफिसर या लिपिक है तो कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा,

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय हो सकेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्त्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्त्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के समबन्ध में उपयोग में लाये गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्त्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्त्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के उद्धरण

नियम–14. वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था–

जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे प्रत्येक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र, जिसका सम्पूर्ण या अधिकांश भाग उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हो, के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और वह, ऐसी रीति से जैसी आयोग निर्देशित करें, एक सूची प्रकाशित करेगा जिसमें इस प्रकार उपलब्ध कराए गए मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र या मतदाताओं के समूह को प्रदर्शित किया गया होगा जिनके लिए उनकी क्रमशः व्यवस्था की गई है।

नियम–15. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा जिसे निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्य प्रकार से कार्यरत होः

परन्तु यह कि यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्व अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न हो जिसे निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्यरत हो और वह तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगाः

परन्तु यह और भी कि इस उपनियम की कोई बात जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने से नही रोकेगी।

(2) मतदान अधिकारी इस नियमावली या तदधीन दिए गए आदेशों के अधीन किसी पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्ही कृत्यों का सम्पादन, यदि उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निदेशित किया गया हो, करेगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी, बीमारी के कारण या अन्य अपरिहार्य कारणवश, मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(4) इस नियमावली में पीठासीन अधिकारी से सम्बन्धित सन्दर्भों से जब तक विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसे कृत्य का सम्पादन कर रहा हो, जिसे वह यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन सम्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

नियम–16. पीठासीन अधिकारी के सामान्य कर्तव्य

मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह आदेश को प्रभावी बनाए रखे और इस बात पर ध्यान दे कि मतदान निष्पक्ष रूप से कराया जा रहा है।

नियम–17. मतदान अधिकारी के कर्तव्य

मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करे।

नियम–18. रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी आदि को आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना

इस नियमावली के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा किसी निर्वाचन के संचालन के लिए तत्समय पदाभिहित पुलिस अधिकारी को ऐसे निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अधिसूचना के दिनाँक को और से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनाँक को समाप्त होने वाली अवधि तक आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा और उक्त अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी आयोग के नियन्त्राण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

नियम–28. निर्वाचन अभिकर्ता

निर्वाचन के समय अभ्यर्थी विहित रीति से स्वयं से भिन्न ऐसे व्यक्ति को अपना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता/सकती है जो उससे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होगा जिसके लिए अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है तथा जिसके विरूद्ध कोई आपराधिक आरोप किसी कानूनी न्यायालय द्वारा विरचित नहीं किए गए हैं और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाती है तब नियुक्ति का नोटिस विहित रीति से रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा।

नियम–29. निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए अपात्रता

कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन राज्य में नगर पालिकाओं, यथास्थिति सदस्य या पार्षद या अध्यक्ष या महापौर का निर्वाचन में मत देने के लिए तत्समय अपात्रा हो, उस समय तक जब तक अपात्राता रहती है, किसी निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए भी अपात्र होगा।

नियम–30. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

(1) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल करने के दिनाँक से प्रवृत्त होगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता के उक्त प्रतिसंहरण या मृत्यु की स्थिति में चाहे वह निर्वाचन के पूर्व या दौरान या चुनाव के पश्चात् पारित हो, लेकिन प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने के पूर्व घटित हो, अभ्यर्थी विहित रीति से दूसरे व्यक्ति को अपनी/अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति कर सकती/सकता है और जब ऐसी नियुक्ति की जाती है, तब नियुक्ति का नोटिस विहित रीति से दिया जाएगा।

नियम–31. निवाचन अभिकर्ताओं के कृत्य

कोई निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के संबंध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो किसी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हो।

नियम–32. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी संख्या में अभिकर्ताओं और अवमुक्ति अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थल पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

नियम–33. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना के समय अपने गणन अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के रूप में उपस्थित रहने के लिए एक या उससे अधिक किन्तु आयोग द्वारा यथा निर्धारित संख्या से अनधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाए तो उक्त नियुक्ति की सूचना निर्धारित समय के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।

नियम–34. मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु

(1) किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और वह उस दिनाँक से प्रवर्तित होगा जिस दिनाँक को इसे ऐसे अधिकारी जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, को सौंपा जाए और मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी मतदान अभिकर्ता के ऐसे किसी प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय दूसरे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल ऐसे अधिकारी को देगा जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और वह ऐसे दिनाँक से प्रवर्तित होगा जिस दिनाँक को इसे रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाए और मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व इसकी गणन अभिकर्ता के ऐसे किसी प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय दूसरे गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को देगा।

नियम–35. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य

(1) मतदान अभिकर्ता मतदान के संबंध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जैसा कि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हों।

(2) कोई गणन अभिकर्ता, मतगणना के संबंध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जैसा कि किसी गणन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हों।

नियम–36. मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति, और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का सम्पादन

(1) प्रत्येक निर्वाचन में जहाँ मतदान किया जाता है, ऐसे निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह मतदान के निमित्त किसी भी मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थान पर उपस्थित रहें।

(2) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं ऐसा कोई कार्य या बात कर सकता है जिसे करने के लिए ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता, यदि नियुक्त किया गया हो, इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत किया गया हो।

नियम–37. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति

जहाँ मतदान या गणन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में इस नियमावली द्वारा या तदधीन कोई कार्य या कृत्य किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत हो वहॉ उक्त प्रयोजन हेतु नियत समय और स्थान पर ऐसे किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति से कृत कार्य या कृत्य अविधिमान्य नहीं होगा, यदि उक्त कार्य या कृत्य अन्यथा सम्यक् रूप से किया गया हो।

नियम–38. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया

(1) किसी सविरोध निर्वाचन के मामले में मतदान, नियम–19 के अधीन उल्लिखित दिनाँक को मतदान आयोजित किया जाएगा।

(2) किसी सीट हेतु नाम वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् यदि विधिमान्य नामनिर्देशन की संख्या मात्रा एक हो तो इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को निर्वाचित किया गया घोषित कर दिया जाएगा।

(3) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी न हो तो इस प्रकार रिक्ति को आयोग द्वारा नियम–60 के अनुसार भरा जाएगा।

नियम–39. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए ऐसी सीटों जो आरक्षित नहीं है को धारण करने के लिए उन जातियों या जनजातियों आदि के सदस्यों की पात्राता–

शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो के किसी महिला या किसी सदस्य को ऐसे किसी सीट को धारण करने के लिए निरर्हित नहीं किया जाएगा जो ऐसी जातियों या वर्गों की महिलाओं या व्यक्तियों के लिए आरक्षित न हों।

नियम–40.

आयोग ऐसी समयावधि नियत करेगा जिसके दौरान मतदान आयोजित किया जाएगा और इस प्रकार नियत समयावधि को प्रकाशित किया जाएगा;

परन्तु नगर पालिकाओं हेतु किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए किसी एक दिन के निमित्त आवंटित कुल अवधि आठ घंटे से कम नहीं होगी।

नियम–41. आपात स्थितियों में मतदान को स्थगित किया जाना

(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान हेतु नियत स्थान पर किसी मतदान केन्द्र की कार्यवाही किसी दंगा या चालू हिंसा के द्वारा बाधित या विच्छिन्न की जाती है या यदि किसी पर्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान पर मतदान आयोजित करना सम्भव न हो तो यथास्थिति ऐसे मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान का रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी दिनाँक, जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा, तक के लिए मतदान स्थगन की घोषणा करेगा और जहाँ मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार स्थगित किया जाए वहाँ वह तत्काल संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन कोई मतदान स्थगित किया जाए तो रिटिर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त परिस्थितियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को सूचित करेगा तथा यथाशक्य शीघ्र आयोग के पूर्वानुमोदन से ऐसा दिनाँक नियत करेगा जिस दिनाँक को मतदान होगा और ऐसा मतदान केन्द्र या स्थान जिस स्थान पर और ऐसी समयावधि जिस दौरान मतदान आयोजित किया जाएगा, नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में डाले गए मतों की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसे स्थगित मतदान को पूरा नहीं कर लिया जाएगा।

(3) यथा पूर्वोक्त ऐसे प्रत्येक मामले में रिटर्निंग अधिकारी ऐसी रीति से अधिसूचना जारी करेगा जैसा कि आयोग उपनियम (2) के अधीन नियत दिनाँक, स्थान और समय के सम्बन्ध में निदेश दे।

नियम–42. मतपेटिकाओं और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों आदि के नष्ट किए जाने की स्थिति में नए सिरे से मतदान

(1) यदि किसी निर्वाचन में :–

(क) यदि किसी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र हेतु नियत किसी स्थान पर प्रयुक्त किसी मतपेटिका या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को अविधिमान्य रूप से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से उठा लिया जाता है या उसे संयोगवश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है, या उसे इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है कि उस मतदान केन्द्र या उस स्थान पर मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या

(ख) किसी वोटिंग मशीन में मत अभिलिखित किए जाने के दौरान कोई यांत्रिाक विफलता आ जाती है, या

(ग) प्रक्रिया में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता, जिससे मतदान के निष्फल होने की संभावना हो, किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थान पर की जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी उक्त मामले में तत्काल आयोग को सूचित करेगा।

(2) उसके आधार पर आयोग, समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए कोई दिवस और समयावधि नियत करेगा और इस प्रकार नियत किए गए दिवस और नियत की गई समयावधि की अधिसूचना इस रीति से करेगा जैसा कि वह उचित समझे, या

(ख) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये सिरे से मतदान के परिणाम से किसी भी रूप में निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं होगा या यह कि वोटिंग मशीन की यांत्रिाक विफलता या उक्त प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता सारभूत नहीं है, रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा निदेश जारी करेगा जैसा कि वह निर्वाचन के अग्रतर संचालन और उसे पूरा करने के लिए उचित समझे।

(3) इस नियम के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक नये सिरे से मतदान के लिए लागू होगें जैसा कि वे मूल मतदान के लिए लागू होते हैं।

नियम–43. बूथ कैप्चरिंग के आधार पर मतदान स्थगित किया जाना या निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट किया जाना

(1) यदि किसी निर्वाचन में,

(क) किसी मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत स्थान (जिसे आगे उक्त स्थान कहा जाएगा) पर बूथ कैप्चरिंग इस रीति से किया गया हो कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर मतदान परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या

(ख) किसी मतगणना स्थल पर इस रीति से बूथ कैप्चरिंग होती हो कि उस स्थान पर गणना के परिणाम को अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त मामले में आयोग को सूचित करेगा।

(2) आयोग, उपनियम (1) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर और समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए कोई दिवस और समयावधि नियत करेगा और इस प्रकार नियत किए गए दिवस और समयावधि को इस रीति से अधिसूचित करेगा जैसा कि व उचित समझे, या

(ख) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बूथ कैप्चरिंग में लिप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होना संभाव्य हो या यह कि कैप्चर किए गए बूथ से मतगणना इस रूप में प्रभावित हुई हो कि इससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करेगा।

नियम–44. निर्वाचन के समय मतदान

प्रत्येक निर्वाचन में, जहाँ मतदान आयोजित किया जाता है वहाँ मतदान मतपत्र द्वारा या इस रीति से किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए और कोई मत परोक्षी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगाः

नियम–46. मत देने का अधिकार

(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबंधित है, उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में प्रविष्ट हो, उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा, यदि वह उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन हो।

(3) कोई व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में उसी श्रेणी के एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे समस्त वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में उसके दिए हुए मत शून्य हो जाएंगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा भले ही उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, और यदि वह इस प्रकार मत देता/देती है तो उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में उसके दिए गए सभी मत शून्य हो जाएंगे।

(5) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वाचन दण्डादेश के अधीन या अन्यथा परिरूद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में होः

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।

पीठासीन अधिकारियों/पोलिंग अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शक बातें

1. मतदान दल के सदस्यों से निकट सम्पर्क रखिए।

1.क यदि दल के सदस्य एकजुट कार्य नहीं करेंगे तो आपका कार्य अधिक कठिन होगा।

2. यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री मिल गई है।

2.क मतपत्र, मतपेटी, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, ऐरोक्रास मार्क रबर स्टैम्प, पत्र मुद्रा, सीलिंग वैक्स, अमिट स्याही सुभेदक चिह्न वाली रबर सील आदि की जाँच कर लें।

2.ख निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियों की जाँच कर लें।

2.ग देख लें कि संशोधन सूची के अनुसार विलोपन तथा शुद्धियां सम्मिलित कर ली गई हैं।

2.घ निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में हस्तलिपि में क्रमवार संख्या पड़ी है।

2.ङ मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही नयी संख्यायें प्रतिस्थापित की गई हैं।

3. मतदान स्थल मॉडल रेखाचित्र के अनुसार स्थापित है अथवा नहीं, की जाँच कर लें। प्रत्येक मतदान स्थल पर सामान्यतः 3 मतदान अधिकारी रहेंगे।

3.क मतदान स्थल पर मतदाताओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग स्थान रखें।

4. मतदान के दिन मतदान स्थल के बाहर प्रदर्शित करें :–

   क. पोलिंग एरिया को दर्शित करने वाली नोटिस, और

   ख. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।

5. किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में स्थानीय रूप से एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करें।

6. मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 15 मिनट पूर्व मतपेटी की तैयारी शुरू कर दें।

6.क मतपेटी के अन्दर पते का टैग भरकर रखें।

6.ख मतपेटी के बाहर पते का टैग मतपेटी की क्रम संख्या तथा प्रयुक्त मतपेटियों की संख्या दर्शित करेगा।

6.ग पत्रमुद्रा पर मतदान अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर प्राप्त करें और सफेद सतह पर अपने हस्ताक्षर करें।

6.घ पत्र मुद्रा को मतपेटी में इस प्रकार रखें ताकि वह मतपेटी की खिड़की से दिखाई दें।

6.ङ प्रत्येक उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को यदि वह चाहे तो पत्रमुद्रा की क्रम संख्या नोट कर लेने दें।

6.च मतपेटी के बाहर लगे पते के टैग पर मतपेटी की क्रम–संख्या तथा प्रयुक्त की गई मतपेटी की संख्या दर्शित होनी चाहिए।

6.छ एक समय में एक मतपेटी प्रयोग में लाएं।

7. मतपत्र पर अपने नाम के पूरे हस्ताक्षर करें परन्तु उसके प्रतिपर्ण पर नहीं।

7.क सुभेदक चिह्न वाली रबर की सील को मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण के दाहिने भाग के ऊपरी हिस्से पर कोने पर लगाएं।

7.ख निर्वाचकों को मतपत्र क्रमवार संख्या में जारी न करें।

7.ग मतपत्रों के तीन या चार बण्डलों को बेतरतीब करके प्रयोग में लाएं।

7.घ मतपत्रों के प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् ही मतपत्र जारी करें।

7.ङ जब तक निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त न हो जाए तब तक मतपत्र जारी न करें।

7.च मतदान अभिकर्ता को मतपत्र की प्रथम तथा अंतिम क्रम संख्या एवं त्रुटिपूर्ण मतपत्रों की क्रम संख्या नोट करने दें।

8. अनुवर्ती मतपेटी/मतपेटियों के प्रयोग के समय पुनः घोषणा करें।

9. ठीक निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करा दें।

10. निर्वाचन के समय प्रथम मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति होगी और वह मतदाता की पहचान करेगा।

10.क द्वितीय मतदान अधिकारी के पास अमिट स्याही तथा मतपत्रों का बण्डल होगा। वह मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की भाग संख्या तथा क्रम संख्या दर्ज करेगा, प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, मतदाता की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा और मतपत्र जारी करेगा।

10.ख तीसरा मतदान अधिकारी मतपत्र को पहले लम्बाई में मोड़ेगा और बाद में चौड़ाई में मोड़ेगा और तब उसे खोलकर मतदाता को देगा। वह मतदाता को स्याही लगी रबर स्टैम्प भी देगा।

11. किसी भी आक्षेप को स्वीकार न करें जब तक कि आक्षेपकर्ता ने 05 (पांच) रूपये की धनराशि नकद जमा न कर दी हो।

12. अशक्त मतदाता के साथी से निर्धारित घोषणा प्राप्त कर लें।

13. यदि आपके विचार से कोई निर्वाचक अर्हकारी आयु से काफी कम आयु का है अर्थात् 18 वर्ष से कम है और अन्यथा आप उसकी पहचान से संतुष्ट हैं तो उसकी आयु के सम्बन्ध में उससे घोषणा प्राप्त कर लें।

14. निविदत्त मतपत्र आपको दिए गए मतपत्रों के बण्डल में आखिरी क्रम पर होगा।

14.क मतपत्र के पीछे और उसके प्रतिपर्ण पर निविदत्त मतपत्र अपने हाथ से लिखें और हस्ताक्षर कर दें।

14.ख निविदत्त मतपत्र को पेटी में नहीं रखा जाएगा।

14.ग निविदत्त मतपत्र और उससे सम्बन्धित सूची एक अलग आवरण में रखें।

15. मतदान की समाप्ति से पूर्व पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति से आरम्भ कर पर्चियों का वितरण प्रत्येक मतदाता को करें।

16. मतदान की गोपनीयता बनाए रखें।

17. मतदान स्थल में अभ्यर्थी के एक अभिकर्ता को किसी एक समय प्रवेश करने दें।

18. स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करें।

19. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के साथ शालीनता बरतें और उन्हें ऐसी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएं जो उन्हें चाहिए।

20. मतदान स्थल से सौ मीटर की परिधि में मत संयाचना करना अपराध है।

21. मतदान स्थल के अन्दर धूम्रपान करना वर्जित हैं।

22. निर्वाचक नामावली में लेखन और मुद्रण सम्बन्धी भूल को अनदेखा कर दें।

23. मतदाता की पात्राता के सम्बन्ध में स्वयम् आपत्ति न उठायें।

24. मतदान की समाप्ति पर घोषणा करें।

25. मतदान अभिकर्ताओं को मतपत्र लेखे की प्रमाणित प्रतियाँ दें।

26. निर्वाचन समाप्त होने पर निर्वाचन पत्रादि और सामान को पैकेटों में सीलबन्द कर दें।

26.क याद रखें कि आपको निर्वाचन सामग्री की पन्द्रह मदें संग्रह केन्द्र पर सौंपनी हैं।

26.ख आप चार अलग अलग आवरणों में आवरक और सामग्री रखें।

26.ग पहले सांविधिक आवरण में सात मुहर बन्द आवरण होने चाहिए।

26.घ दूसरे असांविधिक आवरण में आठ आवरण होने चाहिए।

26.ङ तीसरे पैकेट में आठ मदें होनी चाहिए।

26.च अन्य सभी मदें चौथे आवरण में रखी जानी चाहिए।

26.छ मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् बिना किसी देरी के संग्रह केन्द्र पर मतपेटी निर्वाचन पत्रादि और सामग्री दे दें।

27. अबाध और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिये।

रेखा चित्र–1

मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

1. दो दरवाजे वाले कमरे की व्यवस्था

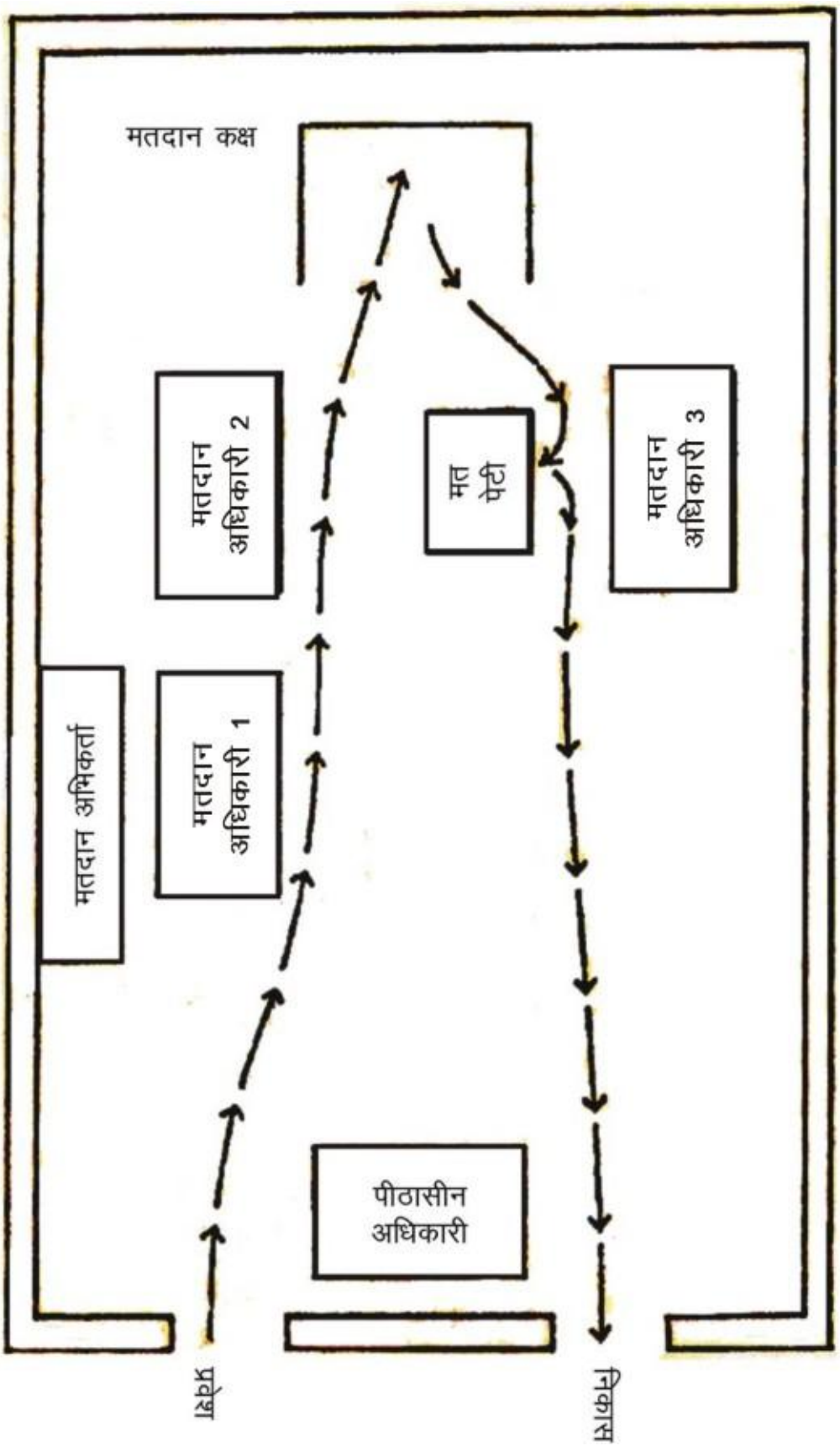

रेखा चित्र–2

2. एक दरवाजे वाले कमरे की व्यवस्था

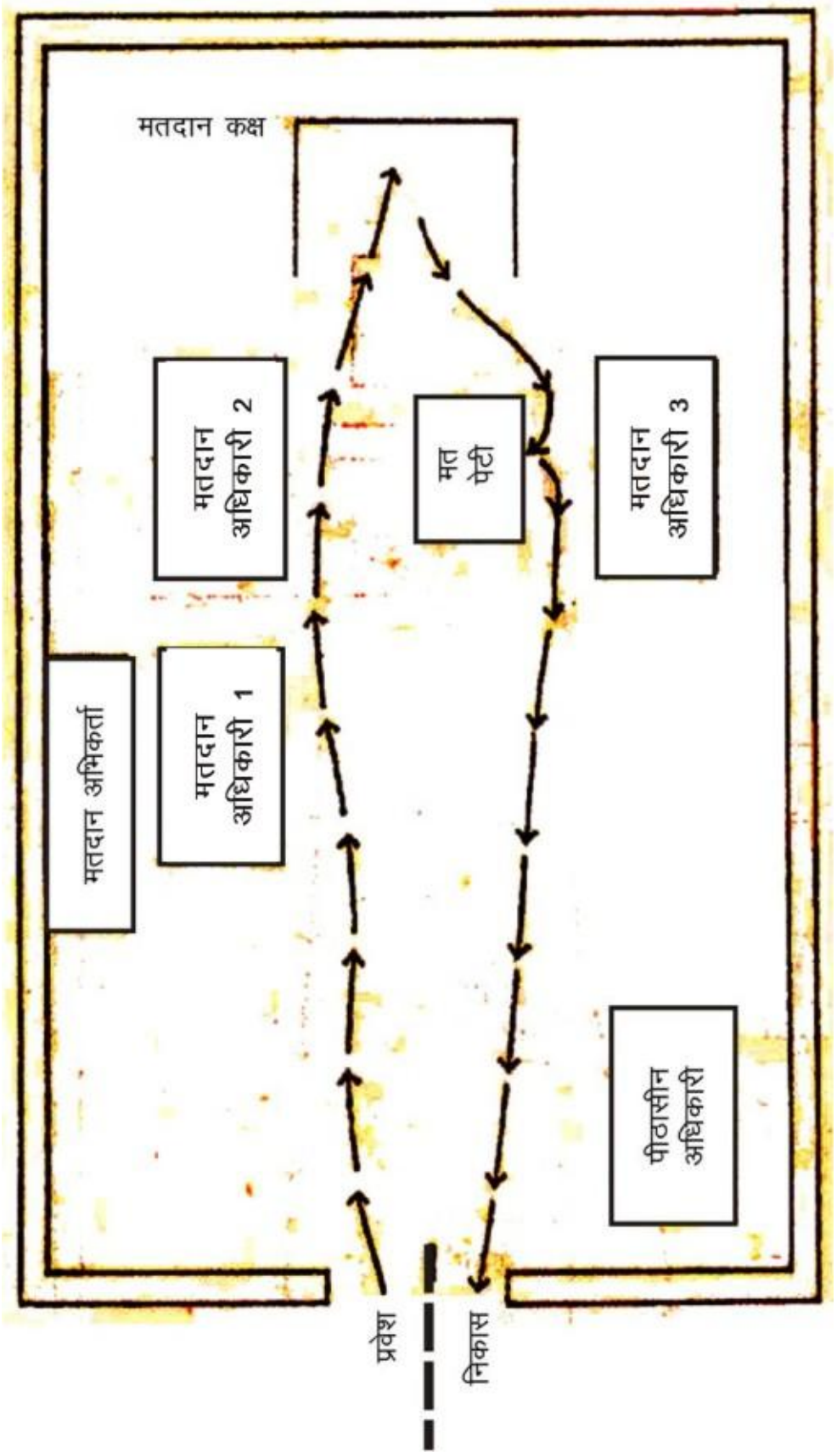

रेखा चित्र–3

मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

3. दीवार के सहारे मतदान कक्ष के लिए व्यवस्था

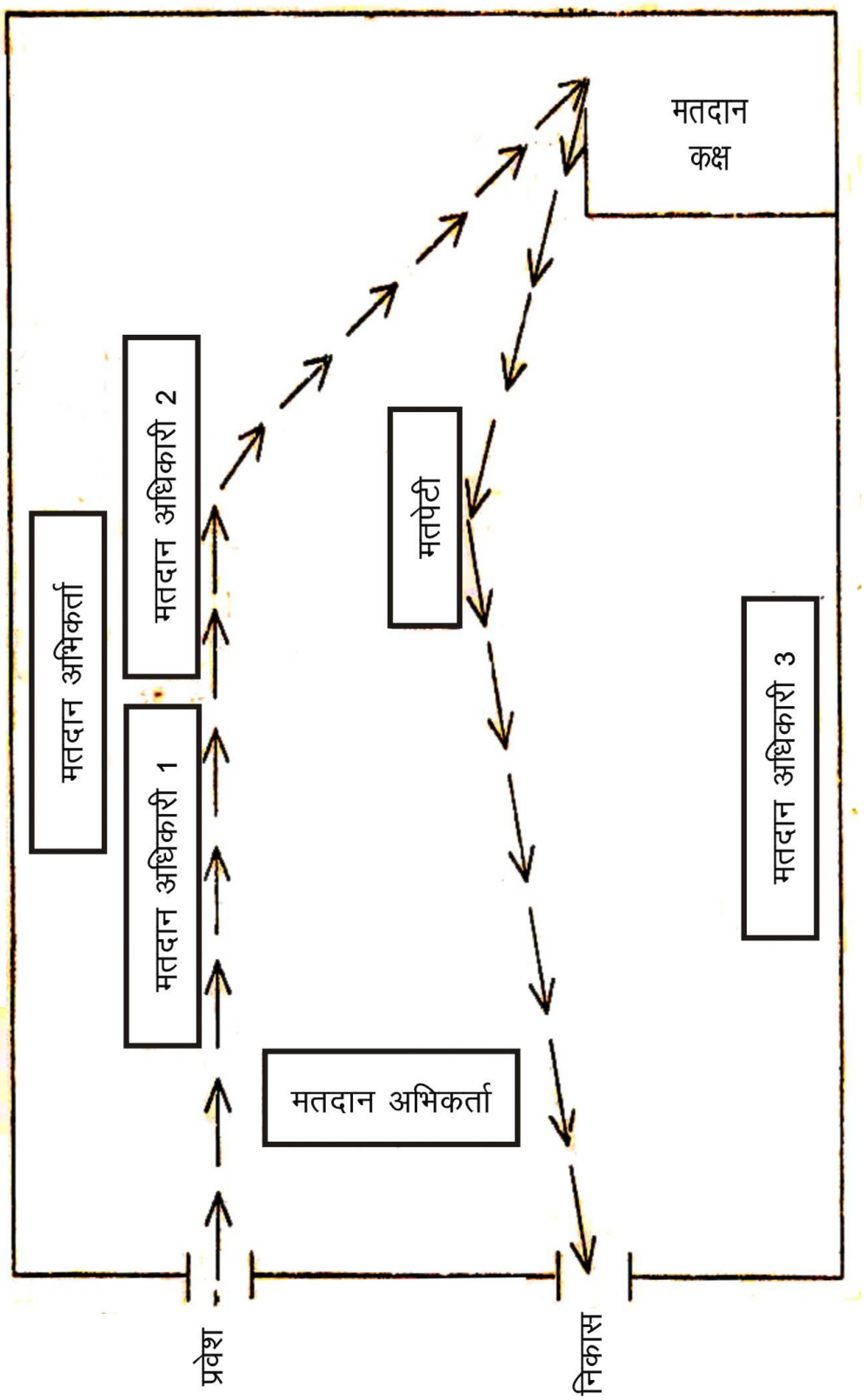

रेखा चित्र–4

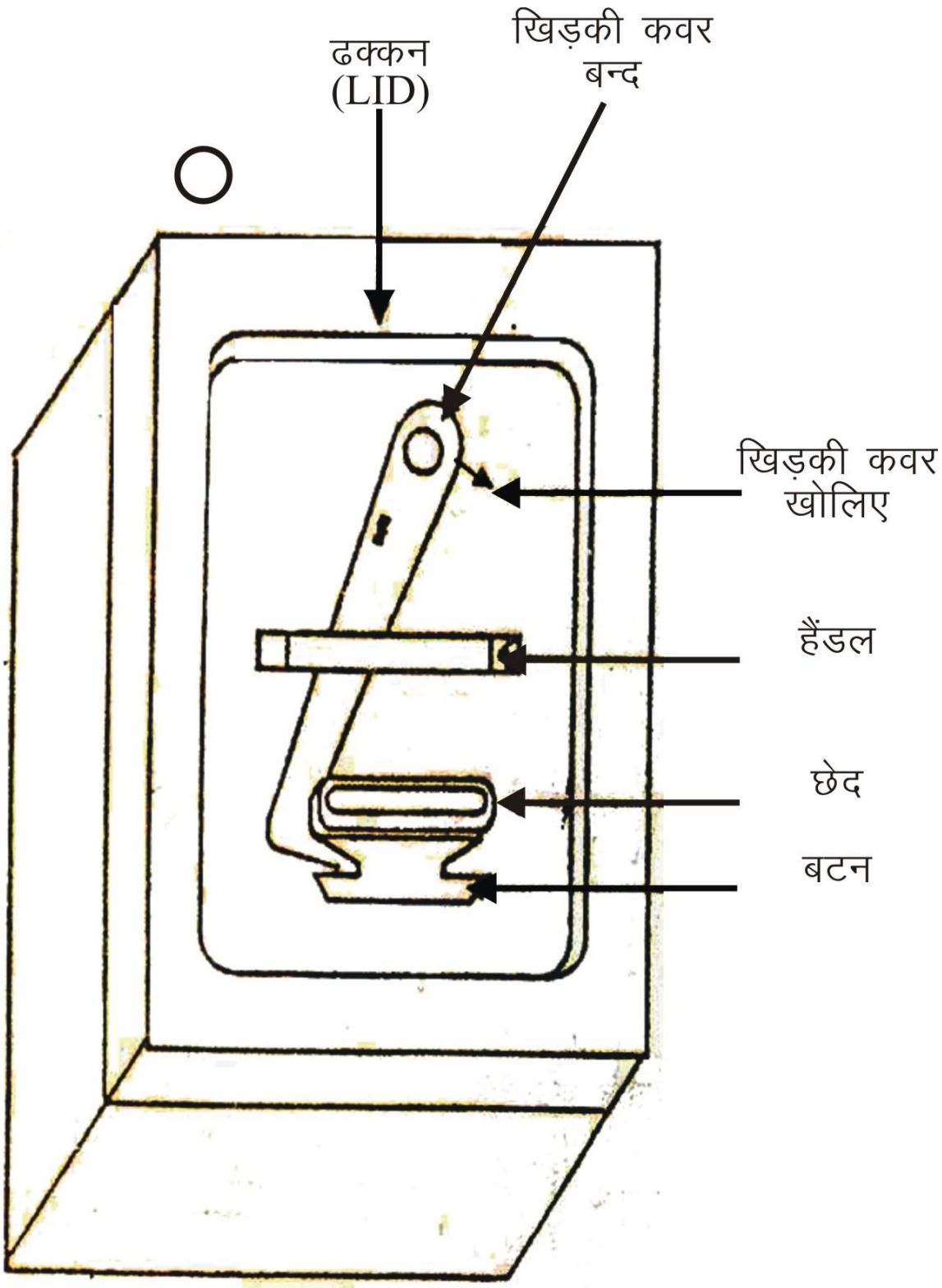

रेखा चित्र–5

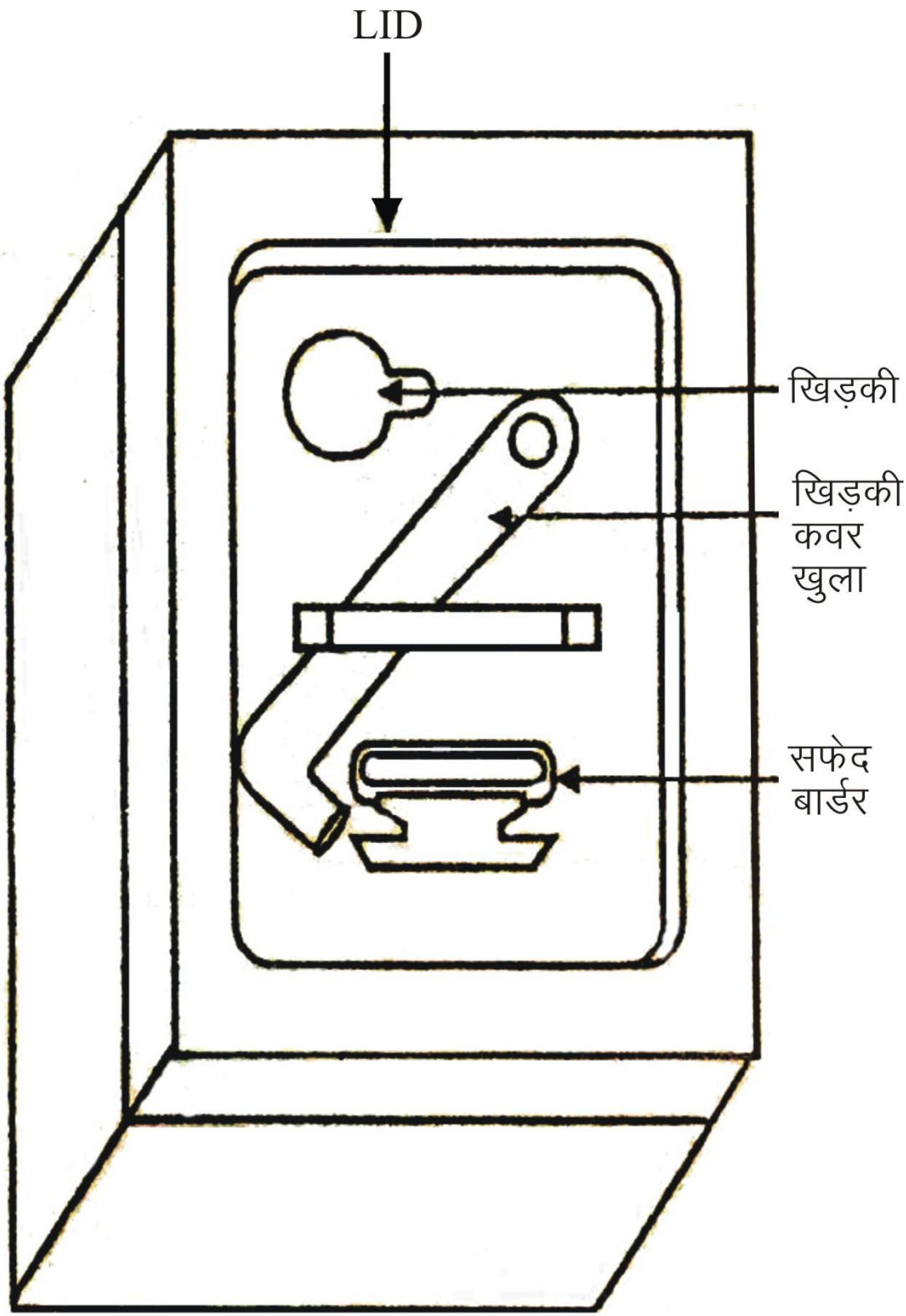

रेखा चित्र–6

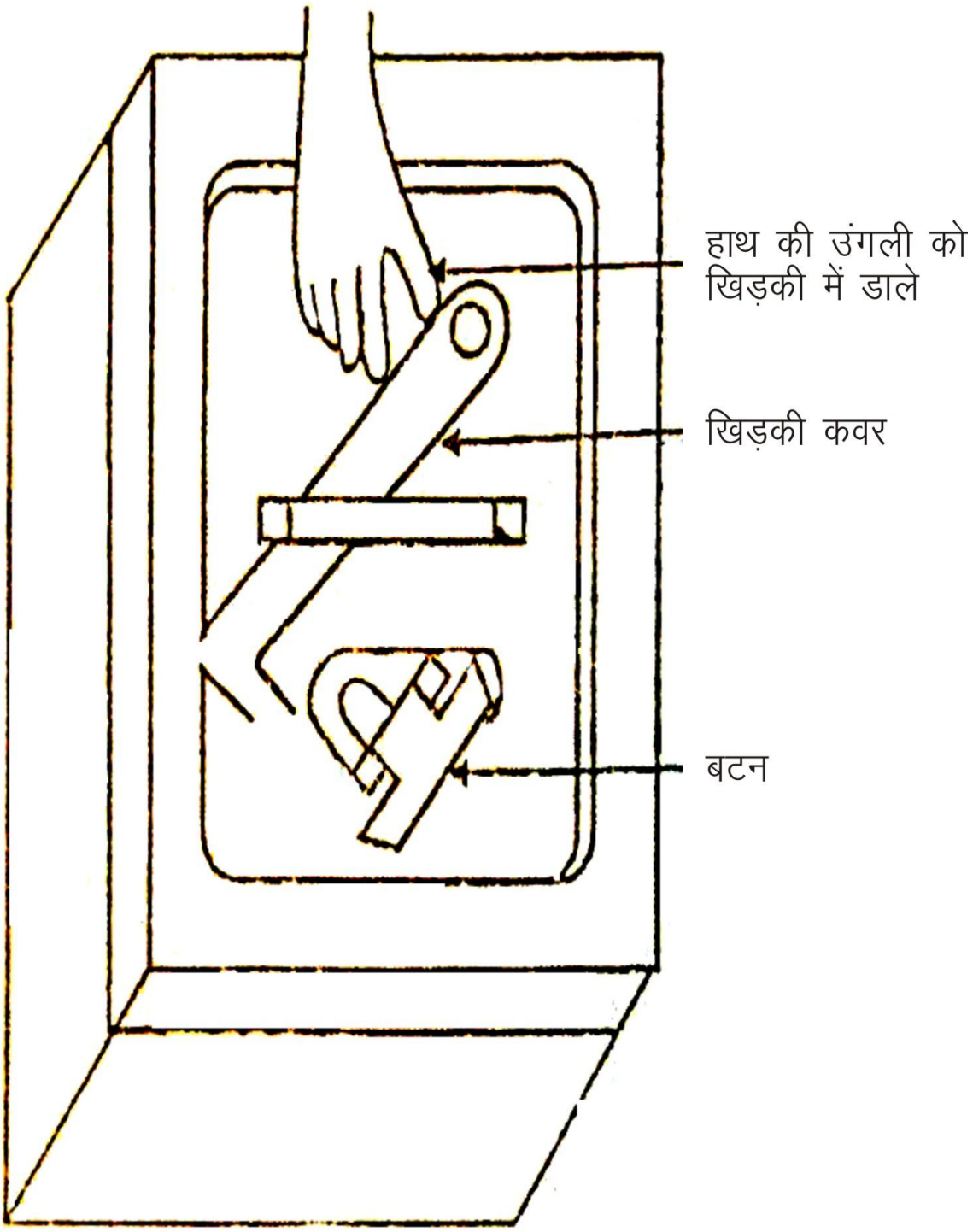

रेखा चित्र–7

अन्दर की तरफ से दृश्य

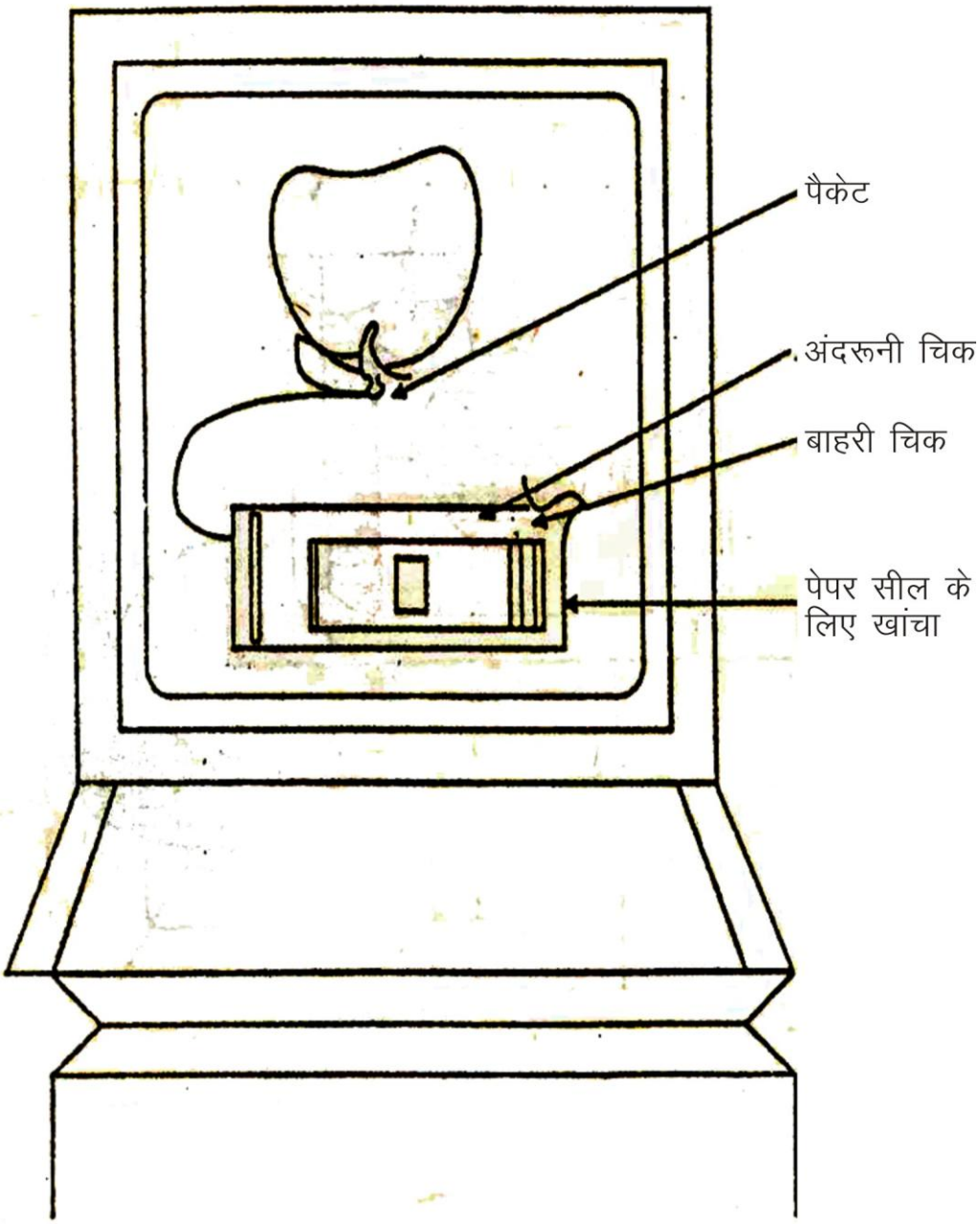

रेखा चित्र–8

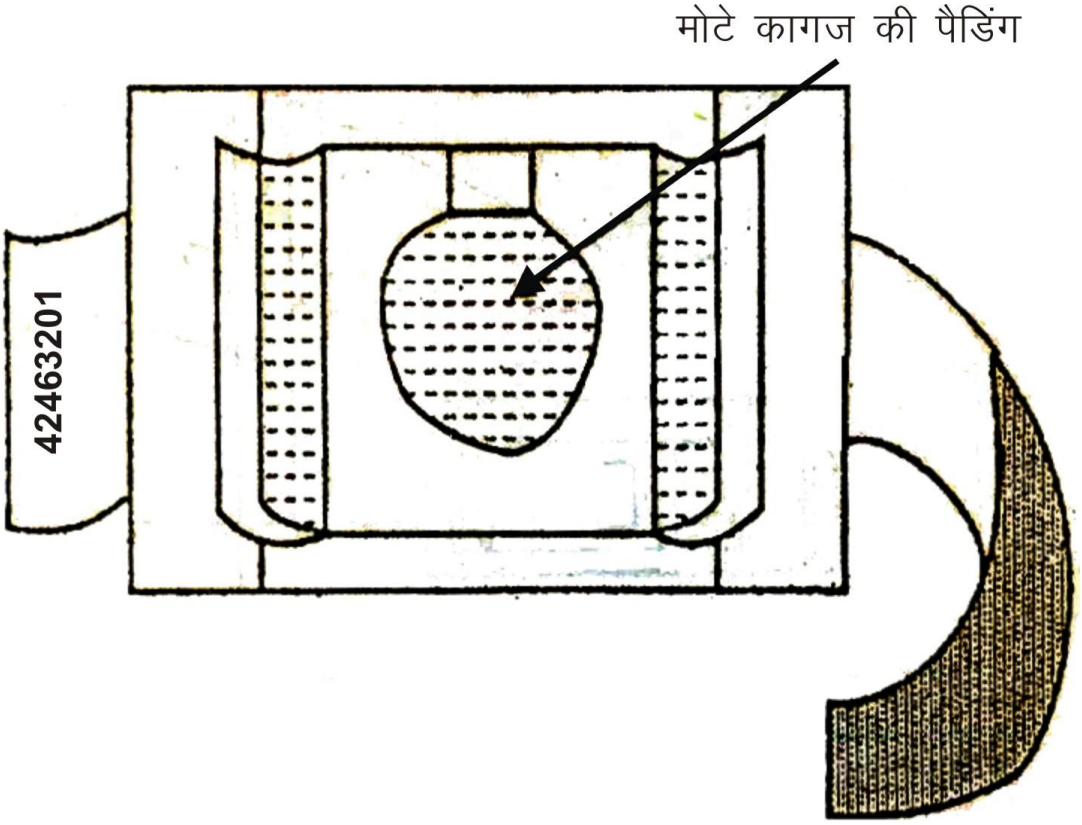

रेखा चित्र–9

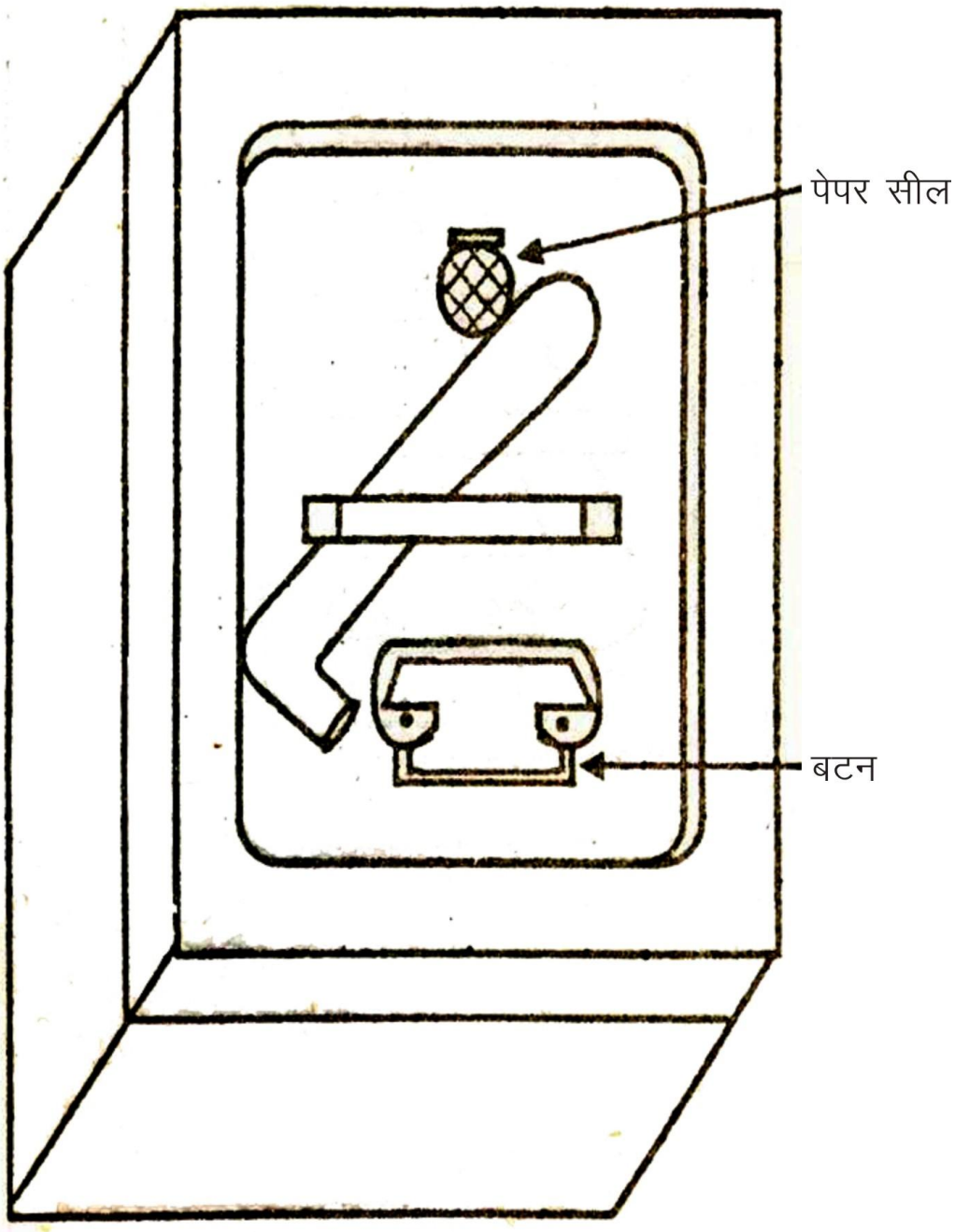

रेखा चित्र–10